NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Daily Excelsior, Jammu, 10/12/2025

Page No: 6, Size: 28.39cm × 17.94cm

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

Human Rights violation of Hindus continue

Ronik Sharma
roniksharma21@gmail.com

Every year, the whole world observes International Human Rights Day to commemorate the adoption of the 1948 Universal Declaration of Human rights. This day not only celebrates everyone's fundamental freedoms but also rights around the globe and this year's theme is "Our Everyday Essentials". Factually, every year on December 10th, we are reminded of the importance of equality and fundamental freedoms for all people, which are crucial subjects for each person's consciousness and development. Due to this the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights on December,1948, and this day is widely recognised as "International Human Rights Day". Everyone knows that the celebration of the International Human Rights Day on 10th December every year has its own signifcance, with events conversions, seminars and initiatives happening all across the world by the various forums working on the human rights of an individual. Primarily, the 1948 Declaration also defends and includes Human Rights of an individual, Dignity, Freedom, and Justice for everyone without any discrimination and interference. It also emphasis on Equal Rights, Equal Opportunities. It also empowers Humanity and protects Human Rights so that no one is left behind and no one faces any discrimination. It also encourages to Stand Up for Human Rights, Freedom and dignity without any discrimination. Logically, as per many reports, including media and social media concerning human rights violations of the Hindu community in different countries where they are in minorities and the number of times highlighting persecution of Hindus in the countries of Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Malaysia etc. As the whole world including the organizations working effectively on human rights violations observes this occasion every year, the hope and promise of the Universal Declaration of International Human Rights still remains unfulfilled for Hindu minority community people living in the countries where they are in the minority, who are deprived of their basic dignity, freedom of conscience, societal prejudices and fundamental rights. The Declaration outlines many of the fundamental civil, social, political, cultural, and religious rights that form the basis of contemporary international human rights law. Hindus have been subjected to various human rights breaches throughout the majority of South Asian countries, particularly in Pakistan, Bangladesh, Afganistan, and some other countries. In several Nations, the Hindu population is persecuted in addition to its quick decline. Thousands of Hindus disappeared, yet this has gone unnoticed by the world fora working for the human rights. They have failed to take strict actions against the persecution of Hindus. Apart from this, in many South Asian countries, Hindus face economic and social marginalization, physical attacks, forced conversions, rape, discrimination, attacks on places of worship, restrictions on their freedom of religion, human rights violations and discriminatory laws. Islamic fundamentalists continue to carry out ethnic cleansing targetting Hindu minority population in Afganistan, Bangladesh, Pakistan and some other countries. This includes everyday acts of forced conversions, murder, rape, kidnapping, demolition of Hindu community sacred places and physical intimidation. According to various reported incidents that have been documented, Hindus who live outside of Bharat face discrimination, murder, sexual violence, forced conversions, ethnic cleansing, temple destruction, socio-political exclusion, and disenfranchisement.

In certain nations where Hindus are in minorities, the fundamentalists, with the active connivance of politicians as well as the government establishment, foster hate against these Hindu minority community people and ethnic cleansing of Hindus is their exclusive agenda. Human rights organisation's operations are called into question because Hindus who live in the minority groups around the world frequently experience daily human rights violations at the hands of state establishments and civil society actors, frequently with no support from local establishments or the global community, and because laws protecting minorities are merely in written form only, and practically the ground situation is totally different. The minority Hindu groups not only face persecution but also experience a variety of forms of physical violence in various parts of the world where they are a minority, including kidnappings, forced disappearances, child trafficking, sexual abuse, looting of shops, vandalism, desecration of holy and religious places, etc. In order to further deny the Hindu community of their basic rights, non-state actors use physical violence in conjunction with state-sponsored violence and legal discrimination by governments and official institutions. Systematic violence and prejudice can take many forms, such as powerless, migration or being barred from public office. The international community frequently downplays or ignores these human rights abuses, which not only harms Hindu's religious freedom but also human rights in general.

To mitigate violence against the Hindu community in countries where they live in a minority, the present governments and their establishments must prioritize the protection of minorities by enhancing police and military presence at Hindu sites, promote religious freedom of minority community, conducting prompt investigations of assaults, and prosecuting the perpetrators of such violence. International organizations as well as the United Nations exert pressure on countries like Pakistan, Afganistan, Bangladesh, and other countries to implement more stringent sanctions against those who perpetrate violence and also hold them accountable for the violence against the innocent Hindu minority community. To ensure accountability and prevent regular mob violence against the innocent Hindu minority community, human rights organizations must guarantee the establishment of independent commissions to monitor minority rights and their violations. Strict laws that forbid forced conversions, underage marriages, and the misuse of blasphemy must be passed in addition to removing discriminatory provisions that support extremism. In order to conduct comprehensive investigations into occurrences the state should ensure the safety and protection of the minorities and should also establish a Minority Rights Commission and bolster the National Human Rights Commission. International organizations like the United Nations and Amnesty International call for interfaith discussions to foster tolerance, public denunciations of violence, and support for Hindus temple restoration targetted and vandalised by the perpetrators of the violence. International human rights organizations must highlight systematic shortcomings in international studies, so that affected groups may apply for refuge or relocate to safer areas. Bharat has been the home of Hindus for all of recorded history, and Hindus who are dispersed around the world are descended from Bharat. No matter where they are in the globe, Hindus still regard Bharat as their motherland. Therefore, it is the grave responsibility of the government of India, regardless of who is in charge, to keep speaking up on behalf of the persecuted Hindus who are dispersed throughout the world. Hindus are the most peaceful, law-abiding people who genuinely adhere to Vasudhaiva Kutumbakam. Additionally, Hindus honor and revere all of the divine incarnations and also give respect to every religion. Hindus human rights must be taken into consideration by the UN and other organisation, and they must be shielded from persecution. The Indian government must assume the duty of defending Hindus human rights wherever they are violated worldwide and providing assistance to Hindus in need in order to safeguard and maintain Hindu's cultural legacy and human rights.

(The author is social activist and an Advocate by profession)

PRESIDENT DROUPADI Murmu will attend NHRC's Human Rights Day function.

Indian Express, Mumbai, 10/12/2025
Page No: 1, Size: 5.40cm × 1.80cm

PRESIDENT DROUPADI Murmu will attend NHRC's Human Rights Day function.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Deccan Herald, Bengaluru, 10/12/2025

Page No: 9, Size: 16.51cm × 54.50cm

Everyday rights, everyday dignity

HUMAN RIGHTS DAY

ASHIT MOHAN PRASAD

Human Rights Day is observed every year on December 10, marking the United Nations General Assembly's adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948. The day is commemorated through conferences, workshops, meetings and cultural events highlighting human concerns worldwide. The UN High Commissioner plays a pivotal role in monitoring violations across the globe.

The theme for this year, "Human Rights – Our Everyday Essentials", highlights that human rights are not abstract principles, but tangible aspects of daily life– food, water, safety and dignity. All human beings are born free and equal, with the right to life, freedom from slavery and torture, equality before the law, freedom of expression and opinion, and access to essential needs including food, shelter, health and education.

Established on October 12, 1993, the National Human Rights Commission (NHRC) serves as the conscience keeper of human rights in India, protecting dignity, ensuring fairness and accountability, and safeguarding the vulnerable. Upholding the core constitutional values of justice, equality, dignity and liberty, the NHRC takes *suo-motu* cognisance of violations. Over the past 32 years, it has handled over 23.5 lakh cases, including 3,000 *suo-motu* matters, and recommended compensation of more than Rs 263 crore in 8,924 cases.

Through investigations, advisories, interventions, and advocacy, the Commission has amplified the voices of the marginalised. Its interventions have addressed critical concerns such as ending manual scavenging, mental health, beggary, and the rights of older persons and LGBTQ+ communities. It also monitors the rights of workers—drivers, sanitation, and construction workers and the vast migrant labour force in the informal sector.

New challenges such as climate change-induced displacement and the rights of prison inmates, including reintegration and rehabilitation, have emerged as pressing areas of focus. The Commission ensures that access to sanitation, electricity, healthcare, education and housing are provided to every citizen. Repealing archaic laws and simplifying procedures have further improved access to rights. Landmark enactments such as the Mental Health Care Act, 2017, and the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, have promoted rights protections.

The Indian Constitution reminds us that rights come with duties. Fundamental rights guarantee a humane, just and inclusive India. Writs and public interest litigations ensure that these rights remain inalienable and the State is not permitted to curtail them arbitrarily.

Human rights are universal and inalienable to all humans, and fundamental rights are guaranteed by a nation's Constitution—such as the right to equality, freedom of speech and expression, freedom of religion and the right to constitutional remedies. While human rights envisage a just, free and fair life, fundamental rights are legally enforceable—each enabling the other.

In recent times, the NHRC has taken proactive steps in a number of cases of human rights violations to ensure justice, fairness and dignity. Following a fire in the ICU trauma centre of the government-run Sawai Man Singh Hospital in Jaipur, resulting in eight deaths, the NHRC sought a report on administrative lapses and compensation. It has intervened similarly in the death of seven workers in a firecracker unit explosion (in Andhra Pradesh).

The Commission has taken cognisance of custodial violence cases -- including the case of a 17-year-old boy tortured in police custody in Rajkot and the death of a student after assault by a police constable captured on CCTV. Other incidents include deaths due to cleaning unsafe sewers, collapse of structures, corporal punishment leading to the death of a child and electrocution at a festival venue.

Through timely and effective interventions, the NHRC continues to uphold human rights to the highest standards. On this day, it is necessary to create awareness among all stakeholders and citizens to ensure and contribute to building an egalitarian society with zero tolerance for human rights violations.

(The writer is a retired DGP and Special Rapporteur, NHRC-Karnataka)

लीबिया में फंसे पटना के संजीव को भारत लाने के लिए मानवाधिकार आयोग में अर्जी

मुजफ्फरपुर. पटना के राजेंद्र नगर इलाके के निवासी प्रो डॉ संजीव धारी सिन्हा लीबिया के यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, जो वापस बिहार आने के लिए वर्ष 2014 से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह वापस नहीं लौट पा रहे हैं. वह भारतीय दूतावास की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं. लीबिया के त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सेवा देते रहने के बावजूद 2014-15 और 2015-16 में कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गयी. वीजा की दुश्वारियों के कारण 2017 में त्रिपोली यूनिवर्सिटी ने उन्हें 39 माह की बजाय सिर्फ 21 माह का ही वेतन दिया, जो उस दौरान वीजा नहीं होने के कारण हवाला के दायरे में है. अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में भी सेवा के दौरान उन्हे वैध वीजा नहीं दिया गया. बगैर वीजा विदेशों में सेवा गैरकानूनी है. प्रो सिन्हा ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा से फोन पर बात कर मदद की गुहार लगायी हैं. अधिवक्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो याचिका दायर की हैं.

प्रभात खबर
Wednesday, December 10, 2025
Kaimur
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/693879fd7c5bbe76add65c11

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Kaimur District, 10/12/2025
Page No: 16, Size: 21.40cm × 9.63cm

विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष : मानव अधिकारों की कसौटी पर खड़ी दुनिया

संघर्ष, तानाशाही, तकनीक के दौर में मानव गरिमा की चुनौती

नेशनल कंटेंट सेल

हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस दुनिया को उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (यूडीएचआर) को स्वीकार किया था. यह घोषणा मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की वैश्विक नींव मानी जाती है, जिसने यह स्पष्ट किया कि अधिकार किसी एक देश या समाज की देन नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध हक है. हालांकि, वर्ष 2025 की वैश्विक तस्वीर इन आदर्शों के सामने गंभीर सवाल खड़े करती है. सूडान, गाजा और यूक्रेन जैसे संघर्षग्रस्त इलाकों में आम नागरिकों के अधिकार लगातार कुचले जा रहे हैं. युद्ध, विस्थापन और हिंसा ने मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद मानवाधिकार उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि तानाशाही शक्तियों के शिकंजे में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक स्वतंत्रताएं सिमटती जा रही हैं. लैटिन अमेरिका से लेकर मध्य-पूर्व तक, वेनेजुएला और सऊदी अरब जैसे देशों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दमन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है.

दिवस का इस वर्ष थीम और भारत का संदर्भ : विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम है- मानवाधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं.

तानाशाही शासन और दमन की तस्वीर

सत्तावादी व तानाशाही देशों में हालात और गंभीर हैं. सऊदी अरब में मृत्युदंड का बढ़ता इस्तेमाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्ती और जेलों में दुर्व्यवहार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं. वेनेजुएला में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों की मनमानी गिरफ्तारियां लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती हैं. म्यांमार में सेना द्वारा नरसंहार और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन आज भी वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है.

लोकतंत्रों के सामने भी सवाल

मानवाधिकार संकट लोकतांत्रिक देशों में भी नयी चुनौतियां उभर रही हैं. भारत में संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, फिर भी दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, पुलिस हिरासत में मौत और अफस्पा के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं. अमेरिका में बाल श्रम कानूनों में ढील और एआइ आधारित निगरानी, जबकि यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ बढ़ता भेदभाव भी चिंताजनक है.

भारत मंडपम में समारोह आज : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर की सुबह दस बजे नयी दिल्ली स्थित भारत मंडपम के सभागार में मानवाधिकार दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Muzaffarpur, 10/12/2025

Page No: 8, Size: 16.56cm × 19.92cm

मानवाधिकार आयोग की त्वरित सुनवाई से पीड़ितों को न्याय

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है. इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी. मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग काफी सक्रियता पूर्वक कार्य कर रही है. मानवाधिकार सार्वभौमिक व अविभाज्य हैं. इसका मतलब यह है कि हम सभी अपने मानवाधिकारों के समान रूप से हकदार हैं और विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर और उचित प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें छीना नहीं जाना चाहिए. मानवाधिकार की बात करें तो अब लोगों में जागरूकता आयी है और वह अपने अधिकारों को समझने लगे हैं. यही कारण है कि पुलिस उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सरकारी कर्मियों द्वारा परेशान किये जाने, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, भोजन व पोषण से संबंधित मामले के लिये लोग कोर्ट की शरण ले रहे हैं.

मानवाधिकार आयोग सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने पिछले दिनों अभियुक्तों को हथकड़ी लगा दिये जाने के मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, जिस पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस को निर्देश दिया कि किसी भी अभियुक्त को न्यायालय से अनुमति के बाद ही हथकड़ी लगाना है.

उन्होंने ट्रांसजेंडरों के मानवाधिकार के लिये लड़ाई लड़ी और जिला स्तर पर एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी को नियुक्त किया गया. बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा के अपने चचेरे भाई रवि कुमार झा की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी के लिये अधिवक्ता एसके झा के द्वारा तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन याचिका दाखिल की गयी थी, जिसके परिणामस्वरुप तमिलनाडु की सरकार काफी सजग हो गयी. इसके बाद रवि कुमार झा तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अरक्कोनम नामक स्थान से सकुशल बरामद किये गये.

मानवाधिकार के मामलो में अब मानवाधिकार आयोग सख्ती से काम कर रहा है. आयोग किसी भी मामले में त्वरित सुनवाई कर रहा है. इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है. हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिये लोगों में जागरूकता जरूरी है. हम सजग होंगे तभी हमें अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे.

- एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता

मानवाधिकार के क्षेत्र में इन दिनों बहुत काम हो रहा है, पहले जागरूकता का अभाव और न्याय के दरवाजे तक पहुंच नहीं होने के कारण कई मामले दब जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. महिलाएं भी मुखर हो गयी हैं और वह अपने हक के लिये मानवाधिकार आयोग तक पहुंच रही है. इससे सामाजिक बदलाव हो रहा है.

- नसीमा खातून, सलाहकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Orissa Diary

The message by NHRC, India Chairperson, Justice V. Ramasubramanian on the eve of Human Rights Day

https://orissadiary.com/the-message-by-nhrc-india-chairperson-justice-v-ramasubramanian-on-the-eve-of-human-rights-day/

By: Odisha Diary Bureau

Date: December 9, 2025

“Greetings to everyone on the eve of Human Rights Day. Each year since 1950, the world comes together on 10th December to celebrate this day. It marks the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the United Nations in 1948. UDHR is a milestone document that has shaped the moral compass of humanity across the globe.

For India, this day carries special significance. Our nation’s representatives played a meaningful role in shaping the UDHR, embedding in it the timeless ideals of dignity, justice and equality for all, the values that are deeply rooted in our own civilisational ethos and philosophy.

This year’s theme, “Human Rights, Our Everyday Essentials,” reminds us that human rights are not distant dreams. They are the foundation of our daily lives. This theme reaffirms that human rights are not luxuries, but necessities that sustain hope and humanity. Human rights allow us to speak freely, live with dignity and dream without fear. By reconnecting people to these values, we seek to inspire awareness, confidence and collective action.

Today, humanity faces unprecedented challenges including climate change, environmental degradation, conflict and terrorism, all of which test our shared commitment to equality and justice. Addressing them requires solidarity across borders and generations.

The National Human Rights Commission (NHRC), India continues to play a pivotal role in strengthening this vision. Drawing upon India’s rich legacy of empathy, compassion and respect for human dignity amidst diverse cultural traditions, the Commission works tirelessly for the cause of human rights within the country besides promoting advocacy for them at international forums and across the Global South. Through its outreach, research and capacity building initiatives over the past three decades, the NHRC has remained steadfast in protecting the rights and voices of all people and particularly the vulnerable segments.

On this solemn occasion, I call upon every individual to stand up for human rights to nurture a culture that upholds the spirit of “Sarve Bhavantu Sukhinah” i.e. let there be happiness for all.

Guided by the Protection of Human Rights Act and inspired by the values of both the Constitution of India and the Universal Declaration of Human Rights, the Commission reaffirms its unwavering commitment to uphold the dignity and equality of every person.”

India Education Diary

The message by NHRC, India Chairperson, Justice V. Ramasubramanian on the eve of Human Rights Day

https://indiaeducationdiary.in/the-message-by-nhrc-india-chairperson-justice-v-ramasubramanian-on-the-eve-of-human-rights-day/

By iednewsdesk | December 9, 2025

"Greetings to everyone on the eve of Human Rights Day. Each year since 1950, the world comes together on 10th December to celebrate this day. It marks the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the United Nations in 1948. UDHR is a milestone document that has shaped the moral compass of humanity across the globe.

For India, this day carries special significance. Our nation's representatives played a meaningful role in shaping the UDHR, embedding in it the timeless ideals of dignity, justice and equality for all, the values that are deeply rooted in our own civilisational ethos and philosophy.

This year's theme, "Human Rights, Our Everyday Essentials," reminds us that human rights are not distant dreams. They are the foundation of our daily lives. This theme reaffirms that human rights are not luxuries, but necessities that sustain hope and humanity. Human rights allow us to speak freely, live with dignity and dream without fear. By reconnecting people to these values, we seek to inspire awareness, confidence and collective action.

Today, humanity faces unprecedented challenges including climate change, environmental degradation, conflict and terrorism, all of which test our shared commitment to equality and justice. Addressing them requires solidarity across borders and generations.

The National Human Rights Commission (NHRC), India continues to play a pivotal role in strengthening this vision. Drawing upon India's rich legacy of empathy, compassion and respect for human dignity amidst diverse cultural traditions, the Commission works tirelessly for the cause of human rights within the country besides promoting advocacy for them at international forums and across the Global South. Through its outreach, research and capacity building initiatives over the past three decades, the NHRC has remained steadfast in protecting the rights and voices of all people and particularly the vulnerable segments.

On this solemn occasion, I call upon every individual to stand up for human rights to nurture a culture that upholds the spirit of "Sarve Bhavantu Sukhinah" i.e. let there be happiness for all.

Guided by the Protection of Human Rights Act and inspired by the values of both the Constitution of India and the Universal Declaration of Human Rights, the Commission reaffirms its unwavering commitment to uphold the dignity and equality of every person."

News On Air

New Delhi: President Murmu to Address Human Rights Day Commemoration Tomorrow

https://www.newsonair.gov.in/new-delhi-president-murmu-to-address-human-rights-day-commemoration-tomorrow/

Site Admin | December 9, 2025 4:32 PM

President Droupadi Murmu will address the commemoration of Human Rights Day at Bharat Mandapam, New Delhi, tomorrow. The event organised by the National Human Rights Commission (NHRC) underscores the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948.

As part of the observance, NHRC will host a National Conference on Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All, aligned with this year's theme Human Rights, Our Everyday Essentials.

Principal Secretary of the Prime Minister's Office, Dr P. K. Mishra will deliver the keynote address, with two thematic sessions focusing on universal, equitable and dignified access to public services.

The conference will bring together representatives from State Human Rights Commissions, national commissions, government officials, civil society, academia and other officials

Social News XYZ

Human Rights Day: President Murmu to chair NHRC's key event today

https://www.socialnews.xyz/2025/12/09/human-rights-day-president-murmu-to-chair-nhrcs-key-event-today/

Posted By: Gopi December 9, 2025

New Delhi, Dec 10 (SocialNews.XYZ) President Droupadi Murmu will share her thoughts on 'Dignity for All' when she chairs the NHRC's event to commemorate the Human Rights Day on Wednesday.

President Murmu is expected to shed light on responsive governance and efficient public service delivery as key to ensuring basic amenities, justice, liberty, equality and dignity for all, said the official in a statement.

NHRC Chairperson V. Ramasubramanian and P. K. Mishra, Principal Secretary to the Prime Minister, would also attend the event.

To mark this day, aligning with the theme chosen by the UN for this year's Human Rights Day, 'Everyday Essentials', the National Human Rights Commission (NHRC) will also organise a National Conference on 'Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All'.

Mishra will deliver the keynote address for this conference.

An NHRC statement said that the conference's theme resonates with the country's developmental journey, underscoring that human rights are not abstract aspirations. They are the everyday essentials that determine one's quality of life through essential services such as healthcare, education, housing, justice, financial inclusion and social protection.

The Commission believes that responsive governance and efficient public services are essential to ensure uniform access to basic amenities and fulfil the constitutional promise of justice, liberty, equality and dignity for everyone.

In recent years, the country has made remarkable progress in expanding access to basic amenities through initiatives such as PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra, Ayushman Bharat, National Education Policy, Van Bandhu Kalyan Yojana, Aspirational Districts and Blocks Programme and others.

However, these welfare policies need to be continuously supplemented with reinforced efforts to ensure that there are no gaps in access, awareness and accountability.

The two sessions of the Conference- 'Basic Amenities to all: A Human Rights Approach' and 'Ensuring Public Services and Dignity For All' aim to discuss these aspects. Eminent domain experts, Secretaries to the Government of India and other senior officials are expected to speak and deliberate on these initiatives in these two sessions.

Human Rights Day, observed annually on December 10 since 1950, commemorates the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the United Nations General Assembly in 1948.

Source: IANS

Drishti IAS

Human Rights Day

https://www.drishtiias.com/statepcs/10-12-2025/odisha

09 Dec 2025

13 min read

Why in News?

President Droupadi Murmu will be the Chief Guest at the National Human Rights Commission's (NHRC) Human Rights Day function on 10th December at Bharat Mandapam, New Delhi.

Key Points

About: Human Rights Day, observed every year on 10th December, highlights the importance of human rights as a foundation for justice, peace, and equality.

Historical Significance: Human Rights Day was established in 1950 to commemorate the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the United Nations on 10th December 1948, which outlined fundamental human rights for all.

The UN Human Rights Council, established in 2006, promotes global human rights protection through its 47 member States(including India) and works on addressing violations and emergencies.

The Council's secretariat is the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), based in Geneva, Switzerland.

Advocacy and Action: The day calls for collective action to counter hate speech, misinformation, andr human rights abuses, while promoting equality and non-discrimination.

Human Rights and India: The Indian Constitution enshrines human rights through Fundamental Rights (Part III) and Dirrective Principles of State Policy (Part IV).

The Preamble's commitment to justice, liberty, equality, and fraternity reflects the spirit of the UDHR.

The National Human Rights Commission (NHRC), established in 1993 under the Protection of Human Rights Act (PHRA), oversees human rights adherence in India.

Theme: The NHRC is hosting a national conference titled “Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All,” aligning with the UN Human Rights Day theme “Everyday Essentials.”

Panel Discussions: Two thematic sessions, “Basic Amenities to All: A Human Rights Approach” and “Ensuring Public Services and Dignity for All”, will feature senior officials and experts discussing gaps and solutions in service delivery.

Deccan Herald

Everyday rights, everyday dignity

Human Rights Day is observed every year on December 10.

https://www.deccanherald.com/opinion/everyday-rights-everyday-dignity-3825781

Ashit Mohan Prasad Last Updated : 10 December 2025, 00:28 IST

Human Rights Day is observed every year on December 10, marking the United Nations General Assembly's adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948. The day is commemorated through conferences, workshops, meetings and cultural events highlighting human concerns worldwide. The UN High Commissioner plays a pivotal role in monitoring violations across the globe.

The theme for this year, "Human Rights – Our Everyday Essentials", highlights that human rights are not abstract principles, but tangible aspects of daily life-- food, water, safety and dignity. All human beings are born free and equal, with the right to life, freedom from slavery and torture, equality before the law, freedom of expression and opinion, and access to essential needs including food, shelter, health and education. Established on October 12, 1993, the National Human Rights Commission (NHRC) serves as the conscience keeper of human rights in India, protecting dignity, ensuring fairness and accountability, and safeguarding the vulnerable. Upholding the core constitutional values of justice, equality, dignity and liberty, the NHRC takes suo-motu cognisance of violations. Over the past 32 years, it has handled over 23.5 lakh cases, including 3,000 suo-motu matters, and recommended compensation of more than Rs 263 crore in 8,924 cases.

Through investigations, advisories, interventions, and advocacy, the Commission has amplified the voices of the marginalised. Its interventions have addressed critical concerns such as ending manual scavenging, mental health, beggary, and the rights of older persons and LGBTQ+ communities. It also monitors the rights of workers—drivers, sanitation, and construction workers and the vast migrant labour force in the informal sector. New challenges such as climate change-induced displacement and the rights of prison inmates, including reintegration and rehabilitation, have emerged as pressing areas of focus. The Commission ensures that access to sanitation, electricity, healthcare, education and housing are provided to every citizen. Repealing archaic laws and simplifying procedures have further improved access to rights. Landmark enactments such as the Mental Health Care Act, 2017, and the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, have promoted rights protections. The Indian Constitution reminds us that rights come with duties. Fundamental rights guarantee a humane, just and inclusive India. Writs and public interest litigations ensure that these rights remain inalienable and the State is not permitted to curtail them arbitrarily. Human rights are universal and inalienable to all humans, and fundamental rights are guaranteed by a nation's Constitution—such as the right to equality, freedom of speech and expression, freedom

of religion and the right to constitutional remedies. While human rights envisage a just, free and fair life, fundamental rights are legally enforceable—each enabling the other.

In recent times, the NHRC has taken proactive steps in a number of cases of human rights violations to ensure justice, fairness and dignity. Following a fire in the ICU trauma centre of the government-run Sawai Man Singh Hospital in Jaipur, resulting in eight deaths, the NHRC sought a report on administrative lapses and compensation. It has intervened similarly in the death of seven workers in a firecracker unit explosion (in Andhra Pradesh). The Commission has taken cognisance of custodial violence cases -- including the case of a 17-year-old boy tortured in police custody in Rajkot and the death of a student after assault by a police constable captured on CCTV. Other incidents include deaths due to cleaning unsafe sewers, collapse of structures, corporal punishment leading to the death of a child and electrocution at a festival venue. Through timely and effective interventions, the NHRC continues to uphold human rights to the highest standards. On this day, it is necessary to create awareness among all stakeholders and citizens to ensure and contribute to building an egalitarian society with zero tolerance for human rights violations. (The writer is a retired DGP and Special Rapporteur, NHRC-Karnataka)

The Wire

India Ought to Mark International Human Rights Day By Releasing Detained Journalists: CPJ

https://m.thewire.in/article/media/international-human-rights-day-india-press-freedom-cpj/amp

The Wire Staff

4 hours ago

“Continued detention and harassment of journalists risks eroding” India's “reputation as the world’s largest democracy and a leading voice of the Global South”, CPJ warned.

New Delhi: Against the backdrop of reporters Irfan Mehraj and Rupesh Kumar Singh being set to spend International Human Rights Day on Wednesday (December 10) in jail, the Committee to Protect Journalists (CPJ) has appealed that India ought to mark the occasion by releasing all journalists to “return to their families and continue their work without fear of reprisal”.

In a letter addressed to Prime Minister Narendra Modi and copied to Union home minister Amit Shah and Press Council of India chairperson Justice (retired) Ranjana Desai among others, CPJ noted that India's “continued detention and harassment of journalists risks eroding” its “reputation as the world’s largest democracy and a leading voice of the Global South”.

Two journalists in jail marks a fall from the high of seven seen in 2021-2023, but at least 15 journalists have been probed under the draconian anti-terror Unlawful Activities (Prevention) Act since the Modi government came to power, CPJ's Asia-Pacific director Beh Lih Yi recalled.

“Mr. Prime Minister, you have said that “democracy is in our DNA” and “the entire country runs on” basic democratic principles. We urge your government to uphold these values, including the right of journalists to report safely,” Lih said on Monday.

Her letter is reproduced in full below.

§

December 8, 2025

Sent via email

Shri Narendra Modi
Hon’ble Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill
New Delhi, 110011
India

Dear Prime Minister Modi,

The Committee to Protect Journalists (CPJ), an independent, nonprofit press freedom organization, writes to request your urgent attention to the matter of journalists imprisoned in India ahead of International Human Rights Day on December 10.

India currently holds two journalists in prison on a combination of security, anti-terror, and state-level criminal charges, CPJ data shows. One of those is Rupesh Kumar Singh, an independent journalist from the state of Jharkhand, who has been imprisoned for more than three years, most recently at Patna's Adarsh Central Jail. According to Singh's family, he has faced poor-quality and insufficient food; inadequate medical attention despite high cholesterol and other health concerns; long hours of confinement in his cell with no access to open spaces; and restricted access to the canteen and other basic facilities.

While we recognize the number of imprisoned journalists in India has decreased from a historic high of seven between 2021 and 2023, at least 15 journalists have been investigated since 2014 under the Unlawful Activities (Prevention) Act, an anti-terror law that allows for detention without trial or charge for up to 180 days.

As India is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, it is incumbent upon the government to uphold its international and domestic human rights obligations. India's Constitution guarantees freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and successive governments have recognized the critical role that an independent press plays in strengthening democratic institutions.

Mr. Prime Minister, you have said that "democracy is in our DNA" and "the entire country runs on" basic democratic principles. We urge your government to uphold these values, including the right of journalists to report safely.

Continued detention and harassment of journalists risks eroding India's reputation as the world's largest democracy and a leading voice of the Global South.

To mark International Human Rights Day, we ask that your government take steps to allow all journalists imprisoned in India to return to their families and continue their work without fear of reprisal.

Our advocacy is supported by more than 1,500 journalists, representing over 100 countries, who joined CPJ in a solidarity action at this year's Global Investigative Journalism Conference in Malaysia to call on governments around the world to free imprisoned journalists and end impunity for those who attack the press.

Your personal attention to this matter would further demonstrate India's dedication to humane governance, justice, and open public discourse.

Thank you for your consideration. We look forward to your reply and welcome continued dialogue with the relevant offices of the government of India.

Sincerely,

Beh Lih Yi
Asia-Pacific Director
Committee to Protect Journalists

CC:
Shri Amit Shah
Union Home Minister
Government of India

Shri Ashwini Vaishnaw
Minister of Information & Broadcasting
Government of India

Justice (Retired) V Ramasubramanian
Chairperson,
National Human Rights Commission of India

Justice (Retired) Ranjana Prakash Desai
Chairperson
Press Council of India

DAINIK BHASKAR, Online, 10.12.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dainik Bhaskar Hindi

मानवाधिकार दिवस राष्ट्रपति मुर्मू एनएचआरसी के मुख्य कार्यक्रम की करेंगी अध्यक्षता

https://www.bhaskarhindi.com/other/manavadhikar-divas-rashtrapati-murmu-budhvaar-ko-nhrc-ke-mukhya-karyakram-ki-karengi-adhyakshata-20251210062040-1222309

10 दिसंबर 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 'सभी के लिए गरिमा' पर अपने विचार रखेंगी।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 'सभी के लिए गरिमा' पर अपने विचार रखेंगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू से उम्मीद है कि वह सभी के लिए बुनियादी सुविधाओं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी शासन और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डालेंगी।

एनएचआरसी के अध्यक्ष वी. रामासुब्रमण्यम और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इस दिन को मनाने के लिए, इस साल के मानवाधिकार दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से चुने गए विषय 'रोजमर्रा की जरूरतें' के अनुरूप, एनएचआरसी 'रोजमर्रा की जरूरतों को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक सेवाएं और सभी के लिए गरिमा' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करेगा।

एनएचआरसी के एक बयान में कहा गया है कि सम्मेलन का विषय देश की विकास यात्रा से जुड़ा है, जो इस बात पर जोर देता है कि मानवाधिकार कोई काल्पनिक आकांक्षाएं नहीं हैं। वे रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, न्याय, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के माध्यम से किसी के जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं।

आयोग का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी शासन और कुशल सार्वजनिक सेवाएं आवश्यक हैं।

हाल के वर्षों में, देश ने पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वन बंधु कल्याण योजना, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम और अन्य पहलों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

सम्मेलन के दो सत्र होंगे। इन दो सत्रों में प्रतिष्ठित डोमेन विशेषज्ञों, भारत सरकार के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के इन पहलों पर बोलने और विचार-विमर्श करने की उम्मीद है।

मानवाधिकार दिवस, जो 1950 से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने की याद में मनाया जाता है।

Bansal News

Human Rights Day 2025: कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन? जानें क्या हैं आपके अधिकार और चुनौतियां ?

मानवाधिकार दिवस 2025 पर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति, NHRC की भूमिका, बढ़ती चुनौतियाँ, दंगे, मॉब लिंचिंग, AFSPA, सुधारों की दिशा और ARC की सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण। NHRC का भारत मंडपम में बड़ा आयोजन भी केंद्र में रहेगा।

https://bansalnews.com/country/human-rights-day-2025-violations-challenges-what-are-your-rights-nhrc-program-skm-10892370

Shashank Kumar | 10 Dec 2025 06:31 IST

Human Rights Day 2025

Human Rights Day 2025: देश में बढ़ती संवेदनशील घटनाओं और बदलते सामाजिक माहौल के बीच मानवाधिकारों (human rights) पर चर्चा पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1948 में विश्व के 48 देशों ने जिस सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) पर हस्ताक्षर करते हुए मानव-गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा का वादा किया था, उसी संकल्प को आज फिर से मज़बूती से याद करने की आवश्यकता है।

भारत ने 1948 में इस घोषणा को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन करने में लगभग 45 साल लग गए, और वर्ष 1993 में NHRC अस्तित्व में आया। आयोग का उद्देश्य था- देश के हर नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा और उल्लंघन पर निगरानी (human rights protection in India) रखना।

Human Rights Day 2025

देश में मानवाधिकार संकट एक चिंता

भारत में हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग, शेल्टर होम अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, नक़ली मुठभेड़ (fake encounters), और कश्मीर तथा अन्य राज्यों में जारी टकराव जैसी घटनाओं ने मानवाधिकारों की स्थिति को सवालों के घेरे में खड़ा (Human Rights Challenges) कर दिया है।

मुज़फ़्फ़रपुर और देवरिया के शेल्टर होम कांड से लेकर गुजरात, दिल्ली और कश्मीर की सांप्रदायिक घटनाओं तक- हर मामले में आम नागरिकों के अधिकारों का बेहद क्रूर उल्लंघन हुआ। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य में NHRC की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता (NHRC effectiveness) पर राष्ट्रीय बहस होना स्वाभाविक है।

क्या है मानवाधिकार और क्यों है महत्वपूर्ण?

संक्षेप में, मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं- ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते।

इनमें शामिल हैं:

जीवन का अधिकार (Right to Life)

स्वतंत्रता का अधिकार (Liberty)

बराबरी और सम्मान का अधिकार (Equality & Dignity)

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार (Political, Social, Economic & Cultural Rights)

संविधान के कई मौलिक अधिकार (fundamental rights) भी मानवाधिकारों के दायरे में आते हैं- जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Article 21)।

Human Rights Day 2025

1. जीवन का अधिकार...

जीवन का अधिकार (Right to Life) मानवाधिकारों में सबसे मूलभूत और अपरिहार्य अधिकार है, जिसे कोई भी सरकार, संस्था या व्यक्ति किसी से छीन नहीं सकता। यह अधिकार केवल जीवित रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि सम्मानपूर्वक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का हक भी देता है।

आज के दौर में यह अधिकार कई समकालीन घटनाओं से लगातार जुड़ा हुआ दिखाई देता है- जैसे अस्पतालों में समय पर उपचार न मिलना, सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत सहायता न देना, प्रदूषण और जहरीली हवा से आम नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ना, या किसी भी सरकारी कार्रवाई में अत्याधिक बल का प्रयोग।

हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन का अधिकार

उदाहरण के तौर पर... सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक का जीवन सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि “गुणवत्तापूर्ण जीवन” का अधिकार भी है। इसमें सुरक्षित परिवेश, समय पर स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ हवा-पानी और स्वतंत्रता से जीने की सुविधा शामिल है।

इसी तरह, भीड़ हिंसा (mob lynching) और कस्टोडियल डेथ जैसी घटनाओं को अदालतों ने जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन माना है। दूसरे शब्दों में, जीवन का अधिकार हमारी सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता की बुनियाद है, और इसका सम्मान होना किसी भी सभ्य समाज का पहला दायित्व है। यह सभी अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार...

स्वतंत्रता का अधिकार (Liberty) मानवाधिकारों का वह आधार है जो हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, आवाजाही, निर्णय लेने और जीवन जीने की आजादी प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने, अपने विचार रखने और बिना डर के जीवन जीने की शक्ति देता है।

आज के समय में यह अधिकार कई समकालीन परिस्थितियों के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है- जैसे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े मामले, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई, या नागरिकों के निजी जीवन (privacy) में तकनीकी निगरानी (surveillance) के बहाने हस्तक्षेप।

निजता के अधिकार स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा

उदाहरण के तौर पर... हाल ही में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा बताया, क्योंकि यदि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित नहीं होगी, तो वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख पाएंगे।

इसी तरह शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, पत्रकारिता में स्वतंत्र रिपोर्टिंग और महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता.. ये सभी आधुनिक संदर्भ दिखाते हैं कि स्वतंत्रता केवल एक कानूनी अवधारणा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की रोजमर्रा की आज़ादी और आत्मसम्मान से जुड़ा वास्तविक हक है, जिसे सुरक्षित रखना लोकतंत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है।

3. बराबरी और सम्मान का अधिकार...

बराबरी और सम्मान का अधिकार (Equality & Dignity) मानवाधिकारों का वह बुनियादी स्तंभ है जो हर व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति या पहचान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त रहने का हक देता है। यह अधिकार सिर्फ क़ानूनी समानता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, स्वीकार्यता और गरिमा के साथ जीवन जीने की आज़ादी सुनिश्चित करता है। आज के समय में यह अधिकार कई समकालीन घटनाओं के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

महाराष्ट्र में भाषाई भेदभाव बड़ा उदाहरण

उदाहरण.. महाराष्ट्र में गैर-मराठी भाषी लोगों के साथ होने वाले भाषाई भेदभाव इसका बड़ा उदाहरण है, जहाँ भाषा के आधार पर नौकरी, पहचान और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते दिखे हैं। इसी तरह देश के कई हिस्सों में दलित समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार- जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रोक, मंदिर प्रवेश पर विवाद, या समाजिक कार्यक्रमों में अपमान बराबरी और गरिमा की मूल भावना को आहत देते हैं। धार्मिक आधार पर भेदभाव, सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन्स, और समुदाय विशेष को लक्षित करने वाली हिंसा भी दिखाती है कि व्यक्ति की गरिमा और समानता अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

ट्रांसजेंडर समुदाय को हो रहा चुनौतियों का सामना

वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय लगातार पहचान छुपाने, नौकरी न मिलने, शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव, और सामाजिक उपहास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई राज्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर हिंसा और सार्वजनिक स्थानों पर अपमानजनक व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि सम्मान (Dignity) उनके लिए अभी भी रोजमर्रा की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद उन्हें समान अवसर, सम्मानजनक नौकरी और सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा।

व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाना गलत

इसके अलावा महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर होने वाला भेदभाव, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में समान पहुँच न मिलना बराबरी (Equality) और सम्मान (Dignity) दोनों का उल्लंघन है। अदालतों ने हाल में कई फैसलों में साफ कहा है कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाना, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, साफ गलत हैं।

उदाहरण के तौर पर... कार्यस्थलों (workplaces) पर “समान वेतन और सम्मानजनक माहौल” सुनिश्चित करने के आदेश, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पहचान अधिकार, और सोशल मीडिया पर होने वाले अपमानजनक हमलों पर कड़ी कार्रवाई.. ये सभी दर्शाते हैं कि बराबरी और सम्मान केवल संवैधानिक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव हैं जहाँ हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके।

4. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार...

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार मानवाधिकारों का व्यापक दायरा बनाते हैं। यह नागरिकों को न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का हक देते हैं, बल्कि उन्हें समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में समान अवसरों और गरिमा के साथ शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं।

राजनीतिक अधिकार नागरिकों को मतदान, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देते हैं- जिसका समकालीन उदाहरण हाल के छात्र आंदोलनों, किसानों के प्रदर्शन और चुनावी सुधारों की मांग में साफ दिखता है। सामाजिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा शामिल है, जो कोविड-19 के बाद और भी महत्वपूर्ण हुए जब राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ी।

समान अवसर और अभिव्यक्ति के साथ संपूर्ण जीवन

आर्थिक अधिकारों के तहत रोजगार के अवसर, न्यूनतम वेतन, और सुरक्षित श्रम परिस्थितियाँ आती हैं- जैसे गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कानून की मांग, या महिलाओं के लिए समान वेतन के मुद्दे।

वहीं सांस्कृतिक अधिकार नागरिकों को अपनी भाषा, परंपरा और कला के संरक्षण का अधिकार देते हैं, जिसकी झलक आदिवासी त्योहारों के संरक्षण, स्थानीय भाषाओं को स्कूलों में शामिल करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्षेत्रीय संस्कृतियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व में दिखाई देती है। इन सभी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति केवल जीवित न रहे, बल्कि सम्मान, पहचान, अवसर और अभिव्यक्ति के साथ संपूर्ण जीवन जी सके।

NHRC- भारत का मानवाधिकार प्रहरी

1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित NHRC, भारत की सर्वोच्च मानवाधिकार निगरानी संस्था है। इसके अध्यक्ष परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं।

इसके प्रमुख कार्यों में लोकसेवकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच, हिरासत में मौतों (custodial deaths) पर संज्ञान, कैदियों की स्थिति का अध्ययन, मानवाधिकारों पर शोध, राज्य सरकारों को सिफारिशें और जागरूकता अभियान (human rights awareness campaigns) शामिल हैं। NHRC की रिपोर्टों के आधार पर समय-समय पर सरकार ने संशोधन भी किए हैं- जैसे बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और LGBTQ+ समुदाय से जुड़े सुधार।

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति-

भारत की विविधता, आकार, औपनिवेशिक इतिहास और धार्मिक-राजनीतिक संवेदनशीलता मानवाधिकार मुद्दों को बेहद जटिल बनाती है।

सांप्रदायिक दंगे सबसे बड़ा खतरा

धर्म की स्वतंत्रता के बावजूद देश में दंगे- चाहे बाबरी मस्जिद, गुजरात, दिल्ली या कश्मीर हों- लाखों लोगों के बुनियादी अधिकारों को चोट पहुँचाते रहे हैं।

AFSPA और सुरक्षा बलों पर सवाल

पूर्वोत्तर और कश्मीर में AFSPA से जुड़े आरोप- जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी, यातना, महिलाओं से दुर्व्यवहार- अक्सर चर्चा में रहे, जिसके चलते कई राज्यों से AFSPA धीरे-धीरे हटाया भी गया।

मानवाधिकार आयोग को मज़बूत कैसे बनाया जा सकता है?

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने NHRC को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

इसके अनुसार शिकायतों के लिए एकसमान डिजिटल प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच समन्वय तेज़ हो सके।

साथ ही, आयोग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर कार्रवाई को और अधिक पारदर्शी व त्वरित बनाया जाए।

गंभीर अपराधों- जैसे भीड़तंत्र (mob lynching), दंगे और मानवाधिकार उल्लंघन में सरकार और NHRC के बीच संयुक्त एक्शन मॉडल अपनाने की ज़रूरत बताई गई है, ताकि निर्णय प्रक्रिया मज़बूत हो।

ARC ने मीडिया और सिविल सोसायटी की भूमिका पर भी जोर दिया है कि वे केवल बड़ी घटनाओं ही नहीं, बल्कि आम लोगों के मानवाधिकार मुद्दों को भी गंभीरता से उठाएँ, जिससे समय रहते सुधार संभव हो सके।

मानवाधिकार दिवस 2025 पर भारत में बड़े आयोजन की तैयारियाँ

हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस पर इस बार NHRC भारत मंडपम में विशेष समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) मुख्य अतिथि और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र मुख्य वक्ता होंगे। एनएचआरसी ने में कहा है कि इस बार सम्मेसन का विषय- 'एवरीडे एसेंशियल्स सुनिश्चित करना: सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और गरिमा' है। जो मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम 'ह्यूमन राइट्स, आवर एवरीडे एसेंशियल्स' (Human Rights, Our Everyday Essentials) के अनुरूप है।

सम्मेलन में देशभर के मानवाधिकार आयोगों के प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी, शिक्षाविद, अधिकारी और मीडिया सदस्य शामिल होंगे। NHRC ने 9 दिसंबर सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है, और चयनित प्रतिभागियों को ई-इनवाइट ईमेल से भेजा जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य- सोच बदलना

OHCHR

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights- OHCHR) का स्पष्ट संदेश है- मानवाधिकार सिर्फ़ विचार नहीं, बल्कि कार्रवाई का आधार हैं। वे जीवन, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांत हैं।

OHCHR के 5 प्रमुख तथ्य दुनिया को याद दिलाते हैं कि:

मानवाधिकार सार्वभौमिक और अविच्छिन्न हैं

सभी अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर हैं

UDHR अंतरराष्ट्रीय कानून की बुनियाद है

देशों के दायित्व और व्यक्तियों के अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं

मानवाधिकार दिवस कार्रवाई का मंच है

मानवाधिकारों की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में मानवाधिकार सुरक्षा सिर्फ NHRC या अदालतों का कार्य नहीं। यह सरकार, नागरिक समाज, मीडिया, और हर नागरिक की साझा ज़िम्मेदारी है। जब तक हम गरिमा, समानता और न्याय को रोजमर्रा की ज़िंदगी में लागू नहीं करेंगे, मानवाधिकार महज़ कागज़ी अवधारणा बनकर रह जाएंगे।

FAQs

1. भारत में मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (UDHR) को अपनाया था। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उनके प्राकृतिक अधिकारों- जैसे जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के बारे में जागरूक करना है।

2. भारत में NHRC की क्या भूमिका है और यह कैसे काम करता है?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच, हिरासत में मौतों पर कार्रवाई, कैदियों की स्थिति की समीक्षा, सरकारों को सुधार संबंधी सिफारिशें और जागरूकता कार्यक्रम चलाने का कार्य करता है। हालांकि इसकी सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं, फिर भी यह देश में मानवाधिकार संरक्षण की प्रमुख एजेंसी है।

3. भारत में मानवाधिकारों से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

भारतीय संदर्भ में सबसे प्रमुख चुनौतियाँ हैं- मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा, शेल्टर होम अत्याचार, नक़ली मुठभेड़, AFSPA से जुड़े आरोप, महिला व बाल सुरक्षा, और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता की कमी। साथ ही NHRC की सीमाएँ- जैसे सीमित जाँच अधिकार और संसाधन चुनौतियों को और जटिल बनाती हैं।

4. मानवाधिकार आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

द्वितीय ARC और विशेषज्ञों के अनुसार, NHRC की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिकायतों का एकसमान डिजिटल पोर्टल, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, भीड़तंत्र, दंगों जैसे गंभीर मामलों में NHRC की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, मीडिया और सिविल सोसायटी की सक्रिय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।

MP Breaking News

आज मनाया जा रहा है Human Rights Day, जानिए इसका इतिहास और हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

https://mpbreakingnews.in/national/human-rights-day-2025-celebrated-today-learn-about-its-history-and-the-rights-we-are-entitled-to-48-844935

Written by:Rishabh Namdev

Last Updated:10 December 2025 at 07:45 IST

हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस (Human Rights Day) मनाया जाता है। आज ही के दिन हर व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देने की घोषणा की गई थी। मानव अधिकार दिवस का मकसद लोगों को भेदभाव से बचाना और उनके जीवन को सम्मानजनक और बेहतर बनाना है।

क्या आप जानते हैं कि 10 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिनों में आता है, क्योंकि इस दिन हर साल मानव अधिकार दिवस (Human Rights Day) मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। ह्यूमन राइट्स एक आधारशिला है जो सभी लोगों को सम्मान, अधिकार और गरिमा प्रदान करने की बात करता है। मानव अधिकार दिवस 2025 के मौके पर आज हम आपको इसका इतिहास बता रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है।

क्या है इसका इतिहास?

दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अत्याचार बढ़ गए थे तो दुनिया को मानव अधिकारों के महत्व को समझने के लिए मजबूर किया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाने की कोशिश की गई। ह्यूमन राइट्स आज इसी प्रयास का परिणाम माना जाता है।

हमारे जीवन में मानव अधिकार दिवस महत्वपूर्ण है, दरअसल यह हमें समझाता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए गए हैं। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मानव अधिकार दिवस उन लोगों के बारे में सोचने और उनके लिए काम करने का अवसर देता है जिन्हें यह मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। मानव अधिकार दिवस हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें कुछ समान अधिकार दिए गए हैं जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार शामिल है। हमें इन अधिकारों का ध्यान रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए।

इसका महत्त्व समझिए

बता दें कि मानव अधिकार दिवस भारत में भी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल इस दिन भारत सरकार और अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें सेमिनार, वर्कशॉप और एग्ज़िबिशन शामिल होते हैं।

इन सभी का उद्देश्य आम लोगों को यह समझाना होता है कि उनके मानव अधिकार क्या हैं और अपने अधिकारों के लिए हमें कैसे लड़ना चाहिए। मानव अधिकार दिवस का महत्व जागरूकता बढ़ाना, समाज में बदलाव लाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है। मानव अधिकार दिवस के महत्व को समझना चाहिए।

THE SOOTR, Online, 10.12.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

The Sootr

10 दिसंबर का इतिहास: Human Rights Day, शांति, समानता और न्याय की ओर एक कदम

https://thesootr.com/today-history/today-history-10-december-manavadhikar-diwas-human-rights-day-10895591

Kaushiki, 10 Dec 2025, 08.00 IST

10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था। यह घोषणा हर इंसान को उसका हक दिलाती है, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है।

आज के दिन की कहानी:यह बात हम सब जानते हैं कि मानव इतिहास सदियों से संघर्ष और न्याय की तलाश से भरा रहा है। पुराने जमाने में ताकतवर लोग अक्सर कमजोरों के हक छीन लेते थे। यह एक पुरानी कड़वी सच्चाई है।

ऐसे में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दुनिया ने एक भयानक तबाही और अमानवीयता का दर्द महसूस किया। लाखों लोगों की मौत हुई और मानवता शर्मसार हो गई, जिसने सबको झकझोर दिया।

इस दर्दनाक अनुभव के बाद, दुनिया के समझदार नेताओं ने सोचा कि अब कुछ पक्का और बड़ा करना होगा। कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे इंसानियत हमेशा जिंदा रहे। इसलिए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, ताकि सभी देश शांति से रह सकें।

10 दिसंबर 1948 का दिन

10 दिसंबर 1948 का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, इसे याद रखना जरूरी है। इसी दिन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) को पेरिस में मंजूरी दी थी।

ये एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसने दुनिया के हर कोने में इंसान के बुनियादी हकों की पक्की नींव रखी है। ये मैनिफेस्टो 30 अनुच्छेदों का एक ताकतवर आईना है, जो हर व्यक्ति के सम्मान और आजादी की गरंटी देता है।

Universal Declaration of Human Rights

UDHR यानी Universal Declaration of Human Rights (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा), एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जिसे 1948 में UN General Assembly ने अपनाया था।

यह बताता है कि हर इंसान के पास जन्म से कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे समानता, आजादी और सुरक्षा। यह दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने का ब्लूप्रिंट है। UDHR को United Nations (UN) के माध्यम से लागू किया जाता है। इसका मुख्यालय New York City में है।

भारत ने भी UDHR को अडॉप्ट किया है। इससे भारत को अपने नागरिकों के लिए जस्टिस और इक्वलिटी सुनिश्चित करने में गाइडेंस मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर आवाज उठाने में सपोर्ट मिलता है। भारत में कंस्टीटूशन में कई राइट्स UDHR से इंस्पायर्ड हैं।

भारत और ह्यूमन राइट्स: हमारा अपना संघर्ष

भारत हमेशा से ही आध्यात्मिक ज्ञान और अहिंसा की धरती रहा है, यह हमारी पहचान है। हमारी आजादी की लड़ाई भी मानवाधिकारों की एक लंबी और शानदार गाथा थी, जिसे दुनिया जानती है।

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के जरिए गोरे शासन के अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई थी। तो ऐसे में जब UDHR बना, तो भारत भी उसका एक सक्रिय और मजबूत हिस्सा था।

ये हमें गर्व महसूस कराता है। हमारी संविधान सभा में मौजूद विद्वान नेताओं ने इस वैश्विक दस्तावेज के सिद्धांतों को गहराई से समझा था। इसी कारण, हमारे संविधान का भाग तीन सीधे तौर पर UDHR से प्रभावित दिखता है।

इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल हैं। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखा था, जो मानवाधिकारों का मूल आधार है।

मानवाधिकार दिवस का इम्पोर्टेंस

मानवाधिकार दिवस केवल आत्म-चिंतन का एक खास मौका है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के जीने, आजाद रहने और सम्मान पाने का पूरा हक है।

हमें जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना होगा। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की संस्थाएं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती हैं। यह मौका है कमजोर और वंचित लोगों की आवाज बनने का, जो आज भी न्याय की राह देख रहे हैं।

ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए भारतीय सरकार के की स्टेप्स

Human Rights Day के महत्व को समझते हुए, भारतीय सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। ये कदम कानूनी और इंस्टीटूशनल दोनों तरह के हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC) की स्थापना

सरकार ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act) के तहत NHRC की स्थापना की। यह एक आजाद संस्था है जो देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है और जरूरी सिफारिशें देती है। यह लोगों की शिकायतें सुनता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है।

बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE Act, 2009)

इस अधिनियम के जरिए 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा पाने का कानूनी हक मिला। यह मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के शिक्षा के अधिकार को पक्का करता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी स्कूल जाने का पूरा मौका मिले।

सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI Act, 2005)

यह कानून नागरिकों को सरकारी काम-काज और रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी माँगने का अधिकार देता है। ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह एक मजबूत टूल है। यह Freedom of Expression और Right to Information जैसे बुनियादी मानवाधिकारों को मजबूती देता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act)

यह अधिनियम SC/ST के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय और भेदभाव के खिलाफ समानता के अधिकार को पक्का करता है। ये मानवाधिकारों का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। इस कानून में सख्त सजा का प्रावधान है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह काम करने के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सपोर्ट करता है। ये गरीबी को कम करने और आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करता है।

महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण शामिल है। यह महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार को पक्का करता है। यह लिंग समानता (Gender Equality) और महिलाओं के मानवाधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आधार-आधारित कल्याणकारी योजनाएं और डिजिटल अधिकार

सरकार ने आधार (Aadhaar) और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके राशन, सब्सिडी और पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही और जरूरतमंद लोगों को मिले। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक अधिकारों की पहुंच बेहतर होती है।

ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर

आज की डिजिटल दुनिया में, मानवाधिकारों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह एक बड़ी समस्या है। साइबर बुलिंग, निजी डेटा की चोरी और ऑनलाइन नफरत जैसे नए खतरे लगातार सामने आ रहे हैं।

पर्यावरण का बिगड़ना भी मानवाधिकारों पर सीधा असर डाल रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। इसलिए, हमें UDHR के सिद्धांतों को आज के जमाने के हिसाब से फिर से लागू करना होगा। सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, ताकि मानवाधिकारों की मशाल हमेशा जलती रहे और अंधेरा दूर हो।

The Civai Mail

One-Day Training Programme on Human Rights and Values at NGP

https://covaimail.com/one-day-training-programme-on-human-rights-and-values-at-ngp/

Editor, December 9, 2025

Dr. NGP Arts and Science College recently organised a One-Day Training Programme on “Human Rights and Values – Promotion and Protection for Students”, sponsored by the National Human Rights Commission (NHRC).

The event commenced with the Welcome Address delivered by Banudevi, Dean – Commerce and Management. This was followed by a Felicitation Address by Muthuswamy, Director – Academics, Dr. N.G.P. Educational Institutions, who emphasized the significance of Human Rights in the present scenario.

The Inaugural Address was delivered by Illakkiya Karunagaran, Senior Superintendent of Police, NHRC, New Delhi. She highlighted the vital role of the National Human Rights Commission in promoting and safeguarding human rights across the nation and also shared real-life case experiences.

The technical deliberations were led by the following renowned resource persons:

Sarathi, Advocate & Chairperson, Coimbatore Human Rights Forum (CHRF), oriented participants on Human Rights, Fundamental Rights, and Women’s Rights.

Gokila, Advocate and Former Legal Advisor, Bharathiar University, explained the functions of Civil Courts, Criminal Courts, and Human Rights Commissions, along with insights on Women’s Rights.

Kamalaveni, Associate Professor, Centre for Women’s Studies, Pondicherry University, elaborated on the Rights of Women and Children.

Madhivanan, Advocate and Mediator, District Court ADR Panel, Coimbatore, discussed Sustainable Development Goals, gender equality, and societal factors impacting vulnerable groups.

Around 100 students participated in the programme.

Legal Service India

Same-Sex Marriage in India – Current Legal Status, Rights & Latest Developments 2025

https://www.legalserviceindia.com/Legal-Articles/same-sex-marriage-in-india-current-legal-status-rights-latest-developments-2025/

A Comprehensive Guide to India's Same-Sex Marriage Laws, LGBTQ+ Rights, Key Judgments & Evolving Legal Landscape (2025)

By counvo December 9, 2025Updated:December 9, 2025 | 8 Mins Read

Where Does India Stand on Same-Sex Marriage?

Where does India stand on same-sex marriage? After Section 377 was struck down (2018), many hoped same-sex marriage would follow. In October 2023, Supreme Court delivered a split decision – not legalizing same-sex marriage but acknowledging the need for rights. Let's understand the complete legal landscape for LGBTQ+ couples in India.

Current Legal Status (2025)

Timeline of LGBTQ+ Rights in India

2009: Delhi High Court decriminalizes homosexuality (Section 377)

2013: Supreme Court overturns, re-criminalizes

2014: NALSA judgment – Recognizes transgender as third gender, fundamental rights

2017: Right to Privacy judgment – Includes sexual orientation

2018: Section 377 partially struck down – Consensual homosexual sex decriminalized (Navtej Johar case)

2023: Same-sex marriage petitions – Supreme Court refuses to legalize, asks Parliament to decide

2025: Ongoing advocacy, some state-level initiatives

Section 377 Decriminalization (2018)

What Changed

Consensual homosexual sex between adults decriminalized

No longer a criminal offense to be gay/lesbian

Historic moment for LGBTQ+ community

What Remains

Non-consensual sex still criminalized (as it should be)

Age of consent laws apply equally

Impact

LGBTQ+ individuals can live openly without fear of arrest

But no marriage or family rights yet

Same-Sex Marriage Petitions (2023)

What Happened

Petitions filed: By multiple LGBTQ+ couples and activists seeking:

Legal recognition of same-sex marriage

Equal rights under marriage laws

Adoption rights

Inheritance, succession rights

Arguments in Favor

Equality before law (Article 14)

Right to life and liberty (Article 21) includes right to marry partner of choice

Dignity and autonomy

Love is love, gender shouldn't matter

Arguments Against (By Government)

Marriage is between man and woman (traditional/religious view)

Parliament should decide, not court

Potential social disruption

Personal laws don't allow

Supreme Court Verdict (October 2023)

5-judge bench, 3:2 split:

Majority Opinion

Cannot legalize same-sex marriage

This is for Parliament to decide, not judiciary

But: Discrimination against LGBTQ+ must end

Right to choose partner is fundamental

Dissenting Opinion (2 Judges)

Should legalize civil unions

Adoption rights should be granted

Can't wait for Parliament indefinitely

What the Judgment DID

Recognized queer couples' right to cohabit

Directed government to ensure no discrimination

Set up committee to examine rights (without marriage)

Acknowledged LGBTQ+ families exist and deserve protection

What It DIDN'T Do

Legalize same-sex marriage

Grant adoption rights

Change personal laws

Result: Status quo continues, marriage not legal

Current Rights of LGBTQ+ Couples

What You CAN Do

✓ Live together – Cohabitation is legal

✓ Have consensual relationship – No criminal liability

✓ Joint bank accounts – As friends/partners

✓ Nominate partner – In insurance, PF, bank accounts

✓ Make will – Leave property to partner

✓ Power of attorney – For medical/financial decisions

✓ Rent/buy property together – As co-owners or joint tenants

✓ Work without discrimination – Employment equality (though not always enforced)

What You CANNOT Do

Legally marry – No marriage certificate

Adopt as couple – Adoption laws don’t recognize same-sex couples

Automatic inheritance – Not “legal heirs” of each other

Spousal visa – For immigration

Tax benefits – That married couples get

Medical decisions – Not automatic “next of kin”

Rent control/succession – Tenancy doesn’t automatically transfer

Insurance – Can’t be “spouse” in health insurance

Legal Workarounds (Until Marriage Legalized)

1. Cohabitation Agreement

What: Legal contract between partners

Acknowledgment of relationship

Financial arrangements (expenses, assets)

Property ownership

Responsibilities

Separation terms

Notarize and register (provides some legal standing)

Not equivalent to marriage but better than nothing

2. Will/Testament

Caution: Family may challenge will after your death

3. Nomination

In all accounts:

Bank accounts – Nominate partner

EPF/PPF – Nominate partner

Insurance – Partner as beneficiary

Shares/mutual funds – Nomination

Legal but: Family can still claim after death (complex)

4. Joint Ownership

Property:

Buy house/flat jointly

Both names on title

Survivor rights (depends on type of ownership)

Bank accounts:

Joint account with either-or-survivor clause

5. Power of Attorney

For medical decisions:

Durable power of attorney

Partner can make medical decisions if you’re incapacitated

Otherwise, family decides (may exclude partner)

For financial:

Partner can handle finances if needed

6. Adoption (Single Parent)

Currently:

Single persons can adopt (regardless of sexual orientation)

LGBTQ+ individual can adopt as single parent

But not as couple

Process:

Through CARA (Central Adoption Resource Authority)

Same process as heterosexual single parent

Don’t need to hide sexual orientation (post-Section 377)

International Comparison

Global trend: Increasing legalization

Civil Unions/Domestic Partnerships

Alternative to marriage:

Registered partnerships

Civil unions

Provides most marriage rights without calling it “marriage”

India:

Supreme Court suggested government consider this

Not yet implemented

Ongoing discussions

If implemented, could provide:

Legal recognition

Inheritance rights

Medical decision rights

Tax benefits

Visa rights

Without changing “marriage” definition

Adoption Rights

Current law:

Hindu Adoption and Maintenance Act: Only married couples (man and woman) or single persons

Juvenile Justice Act (CARA): Single persons can adopt

Single LGBTQ+ person: Can adopt

LGBTQ+ couple: Cannot adopt together (not recognized as couple)

Workaround:

One partner adopts as single parent

Other has no legal rights to child (problematic)

Workplace Rights

Currently: No specific LGBTQ+ anti-discrimination law

Constitution’s Article 15/16 prohibits discrimination

Navtej Johar judgment affirmed workplace equality

Some companies have inclusive policies

In practice:

Varies widely

MNCs generally better

Small companies/traditional sectors may discriminate

Legal recourse available but underutilized

Healthcare

Rights:

Cannot be denied healthcare due to sexual orientation

Medical confidentiality applies

Partner can accompany (but not automatically “next of kin”)

Challenges:

Some doctors discriminatory

Insurance doesn’t cover partner as “spouse”

Medical decision-making if incapacitated (power of attorney crucial)

Discrimination & Legal Recourse

If discriminated (employment, housing, services):

File complaint with:

Police (if criminal offense)

State Human Rights Commission

National Human Rights Commission

Appropriate forum (labor court, consumer forum, etc.)

Grounds: Violation of Article 14, 15, 21

But: No specific LGBTQ+ anti-discrimination law makes it harder

Trans Rights (Separate Legal Framework)

Transgender Persons Act, 2019:

Provides:

Self-identification as male, female, or transgender

Certificate of identity

Anti-discrimination provisions

Reservation in education, employment

National Council for Transgender Persons

Issues:

Implementation weak

Discrimination continues

Medical procedures for transition expensive, not covered

Marriage:

After transition, can marry as per new gender identity

If transitioned to female, can marry man (and vice versa)

But same-sex marriage still not legal

Religious Perspectives

Personal laws based on religion: Major obstacle to uniform civil marriage

Scenarios

1. Parliament Legalizes

New law passed

Amends Special Marriage Act or creates new law

Most democratic route

But: Political will needed (currently lacking)

2. Supreme Court Review

Fresh petitions

Larger bench

Could overturn 2023 judgment

But: Court hesitant to bypass Parliament

3. Civil Unions

Government creates separate framework

Not “marriage” but similar rights

Compromise solution

Possible in next 2-5 years

4. State-Level Initiatives

Some states considering LGBTQ+ welfare boards

Not marriage but some protections

Kerala, Tamil Nadu ahead in LGBTQ+ rights

5. Status Quo

No change for years

Community continues fighting

Piecemeal gains

Realistic Timeline

5-10 years for legalization (optimistic estimate)

Advocacy and Support

Organizations Working on LGBTQ+ Rights

Humsafar Trust

Naz Foundation

Lawyers Collective

Alternative Law Forum

Sangama

Many state-level groups

Helplines

It Gets Better India

LGBTQ helplines in major cities

Mental health support

Advice for LGBTQ+ Couples

Financial Planning

Can’t file joint tax returns

Plan separately

Consider financial interdependence

Family

Come out if safe

If not, protect yourself legally despite family

International Options

If Seeking Marriage

Marry abroad

Countries where it’s legal (UK, USA, Canada, etc.)

Get married there

But: Not recognized in India

No legal benefits in India

Immigration

Partner visa not available for Indian couples

If one partner is foreign national, complicated

Conclusion

Same-sex marriage in India remains a work in progress. While Section 377 decriminalization was historic, full equality – including marriage – is still distant.

Current Reality

Relationships legal, marriage not

Must use legal workarounds

Continued advocacy needed

Hope

Global trend toward legalization

Increasing social acceptance

Legal community supportive

Change is coming, even if slow

For LGBTQ+ Indians: You deserve equal rights. While we wait for law to catch up, protect yourself legally and keep fighting for equality!

Counter Currents

NHRC India is the least effective NHRI among its Asian counterparts – ANNI Report 2025

https://countercurrents.org/2025/12/nhrc-india-is-the-least-effective-nhri-among-its-asian-counterparts-anni-report-2025/

in Human Rights | by Ashish Reddy and Grace Anu | 09/12/2025

Asian story and Indian standing

The National Human Rights Commission of India (NHRC) is one of the founding members of Asia Pacific Forum (APF) which has been established in 1996 as a regional counterpart of Global Alliance of NHRIs for regional collaboration among NHRIs across Asia. At the Asian level, a civil society counterpart to APF, the Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) was established in December 2006. It is a network of Asian human rights organisations working on issues related to National Human Rights Institutions (NHRIs). It is the one and only network of its kind that globally advocates for independent, effective, credible and accountable NHRIs. In India, the All India Network of NGOs and Individuals Working with National and State Human Rights Institutions (AiNNI) established in 2010, collaborates with ANNI as a member.

On 4 November, 2025 ANNI launched its biennial report on Performance of NHRIs in Asia. This report covers the period from January 2023 to December 2025 and has evaluated 13 NHRIs across Asia. The report is based on the ANNI index which conducts both qualitative and quantitative assessment of the performance of the NHRIs.

The ANNI Index evaluated the NHRIs across five parent categories, each aligned with the core requirements of the Paris Principles i.e., Independence, Mandate, Pluralism, Promotion and Protection. According to the ANNI Index, Indian NHRC scores the least with 12.48 points.

Independence is the first category in the ANNI Index which has four sub categories i.e., legal basis, appointments, budget and operational autonomy. The report suggests that the NHRC of India has largely failed to be independent especially in its selection process. No procedures were outlined to “ensure broad consultation and participation in the screening, selection and appointment of leadership.” The current Chairperson has been appointed despite dissent from the two opposition leaders who were the members of the committee. Sadder still, in 2023 and 2024, “a significant portion of the commissioners’ leadership was left vacant.” The report further notes the political influence with the appointment of staff that highly flouts the principle of independence.

Lack of pluralism and diversity is another problem that the report highlights. Since its establishment in 1993, the NHRCI has had only 4 women appointed as its commissioners. Despite the diverse country that India is, the representation of women, and of those from the minority communities, Dalits and Tribals still await an entry into the

Commission. The report opines that the lack of such representations “raises serious concerns over the NHRCI’s credibility, inclusiveness and alignment with the Paris Principles.”

Inaction on Gross Human Rights Violations

The involvement of police in the investigation despite the HRDs and the civil society organisations voicing out on the same, has further contributed to the NHRCI taking the last place under all the categories. The report as well observes the inaction or rather the very late action of NHRC in looking into the violence in Manipur, where 221 people have been killed, 60,000 displaced and 4786 houses were burned.

The handling of complaints, as the report reveals, have faced a serious downfall. The NHRC has safely left sensitive cases untouched, including those of human rights defenders like Khurram Parvez from Kashmir and students from the Jawaharlal Nehru university like Umar Khalid, Sharjeel Inam, Gulfisha Fatima, Meeran Haider and others who have been left to languish in the prison for five years together now and the accused in the BK 16 case. It has not even chosen to intervene in the case of Mr. Sonam Wangchuk of Ladak now under NSA detention. Not once did the NHRCI deem it is fit to call and discuss with those reputed CSOs who had been targeted under the FCRA from 2012 onwards till date. It has disposed of 201 custodial deaths cases out of the 302 registered, and 4386 deaths in judicial custody. The report further raises concern on the awarding of compensation to only 60 cases of custodial death, 2 cases of police encounter and 267 judicial deaths. The report highlights the gaps in awarding compensations to the families of the victims. Of the 308 cases for which compensation has been recommended, only 70 has been paid which flags a serious problem in the accountability of the institution.

The report further records the silence of NHRC in the state of Chhattisgarh, on the government’s counter insurgency operations against Maoists which saw 282 extrajudicial killings, including that of a six-month old infant, in 2024.

The report highlights that the NHRCI’s current Chairperson , Justice V. Ramasubramanian, was appointed on 30 December 2024, following a six-month vacancy after the completion of tenure of Justice Arun Misha. For more than six months in 2024, the NHRCI functioned without a full time Chairperson and with only four members instead of five.

Indian NHRC backdrop

The NHRCI which recently celebrated its 32nd foundation day on 17 October 2025 was established through the Protection of Human Rights Act 1993 in accordance with the Paris Principles 1992. These principles are based on the certain minimum standards which are required for an effective functioning of the NHRIs. In order to monitor the compliance of the minimum standards set under Paris Principles, a global body of NHRIs named the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion

and Protection of Human Rights (ICC) was established in 1993. The Committee has then changed its nomenclature and legal body to "Global Alliance of National Human Rights Institutions" (GANHRI) in March 2016.

The NHRCI has been a member of GANHRI since 1997 and was graded 'A' when it was first accredited in 1998, then in 2006 and 2011 NHRCI was re-accredited with 'A' status by the Sub Committee of Accreditation (SCA) of GANHRI. In 2016, NHRCI was deferred by the SCA for a period of one year and in 2017 the NHRCI was re-accredited with 'A' status. However, during the 2023 review the NHRCI has been deferred for years, in 2024 the NHRCI suffered consecutive deferrals and in 2025 the SCA has recommended downgrading of NHRCI status from 'A' to 'B' highlighting its repeated non-compliance of its recommendations. The recommendations of the SCA have been challenged by the NHRC before the GANHRI bureau and the bureau has dismissed the challenge of NHRCI.

The SCA recommendation to Downgrade NHRC was based on repeated non-compliance of following recommendations :

Involvement of Police officers in Investigations of NHRC – The SCA noted that the secondment of police officers to act as investigative staff may impact on the NHRC's ability to conduct impartial investigations as well as the ability of victims to access justice

Selection and appointment of its members – The NHRC was encouraged by SCA to advocate for a process that sufficiently promotes broad consultation and participation in the selection process and maximize the number of candidates from a wide range of groups as well as the involvement of civil society in the process.

Lack of Pluralism – The SCA noted that the NHRC composition and staff complement was not gender representative and pluralistic.

Appointment of Secretary General;

Addressing human rights violations – The NHRC was encouraged by SCA to take proactive steps in addressing all human rights violations as well as pressing human rights issues facing human rights defenders while making its positions publicly available.

Cooperation with Civil Society – The NHRC was encouraged by SCA to actively collaborate with civil society on a regular basis including with those outside of the Core/Expert Groups.

It is pertinent to note that two successive deferrals of NHRC in 2023 and 2024 was during the tenure of Justice Arun Mishra as its Chairperson, and during the assessment period for the accreditation in 2025 the NHRC only had one sole woman member functioning as an acting chairperson for almost six months till appointment of Justice V. Ramasubramanian as the Chairperson.

The recommendation of downgrading of NHRC is based on systematic issues that have been repeatedly pointed out by the SCA since 2011. The 2016 deferral of NHRC has

resulted in the amendment of Protection of Human Rights Act. However, the successive deferrals in 2023 & 2024 and recommendation to downgrade in 2025 has not been discussed in the parliament till date. These details have been included in the NHRCI website only in October 2025. Why was it kept a secret and from whom was it kept?

Recommendations in ANNI report 2025

That the Government of India amends the Protection of Human Rights Act to include a stronger diversity requirement for the NHRC's composition, following all of GANHRI–SCA's recommendations.

Place the SCA's recommendations from 2023, 2024, and 2025 before both houses of parliament.

Ensure that the two remaining vacancies for NHRCI members are immediately filled.

That the NHRCI publicly urges the Government to implement all GANHRI-SCA's recommendations from 2011, 2016, 2017, 2023, 2024 and 2025.

Ensure that the NHRCI's strategic plan strictly complies with the Marrakesh Declaration, the APF Regional Action Plan on HRDs and the Global Action Plan to Support the Protection and Promotion of Human Rights Defenders and Civic Space.

India Today

Professors arrested for raping, impregnating Dalit student in Andhra; protest rages

A serious allegation of sexual exploitation at National Sanskrit University in Tirupati has triggered widespread protests and demands for justice. The case involves a Dalit B.Ed student accusing two assistant professors of harassment and coercion.

https://www.indiatoday.in/india/story/professors-arrested-for-raping-impregnating-dalit-student-at-national-sanskrit-university-in-andhra-pradesh-tirupati-amid-protests-2833426-2025-12-09

Apoorva Jayachandran

UPDATED: Dec 9, 2025 20:33 IST

Edited By: Sonali Verma

A case of alleged sexual harassment has come to light at the National Sanskrit University in Andhra Pradesh's Tirupati, after a first-year B.Ed Dalit student accused two assistant professors, Laxman Kumar and Shekhar Reddy, of sexually harassing and impregnating her.

The incident has sparked widespread outrage on campus, with student unions staging demonstrations demanding immediate suspension of the accused, strict legal action, and stronger safeguards for women on university premises.

Acting on a formal complaint filed by the university’s in-charge registrar, the Tirupati West Police registered a case and arrested the accused faculty members, Assistant Professors Laxman Kumar and Shekhar Reddy.

Investigators have seized two mobile phones from the accused and sent them for forensic analysis to verify claims of harassment, blackmail, and coercion.

YSRCP MP Maddila Gurumoorthy has written to the National Commission for Women (NCW), Union Education Minister Dharmendra Pradhan, and the National Human Rights Commission, urging urgent intervention in the case.

In his letters dated December 7, 2025, the MP cited the survivor’s multiple written complaints to university authorities, saying that Dr Laxman Kumar coerced the student using personal photographs and videos, threatened to misuse her images, inflicted severe mental trauma, forcing her to discontinue her studies and subjected her to continuous psychological harassment and intimidation.

The MP also called for a fair, transparent, and time-bound investigation, focusing that the safety and dignity of the survivor must be the top priority. He also demanded counselling support, protection for the victim, and swift action against those responsible.

“The conduct of the accused demonstrates an alarming abuse of authority, exploiting his position as a faculty member to exert undue influence and cause long-lasting emotional harm,” Gurumoorthy wrote. He further stressed that universities must remain safe spaces for learning and not become centers of fear.

Hindustan

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 12वीं बार अपने नाम दर्ज की ट्रॉफी

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/agra/cisf-won-trophy-record-for-the-12th-time-201765285484275.amp.html

Dec 09, 2025 06:45 pm IST

Arun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान

संक्षेप:

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने एक बार फिर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। सीआईएसएफ ने 30वीं सीएपीएफएस एनएचआरसी वाद विवाद प्रतियोगिता 2025 में टॉप स्थान हासिल किया।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। सीआईएसएफ ने 30वीं सीएपीएफएस एनएचआरसी वाद विवाद प्रतियोगिता 2025 में टॉप स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में छह सीएपीएफएस के 24 प्रतिभागियों ने विभिन्न चरणों में भाग लिया। सुरक्षा बल ने साल 2014 से लगातार 12वीं बार रोलिंग ट्राफी अपने नाम दर्ज की। प्रतियोगिता सशस्त्र सीमा बल ने आयोजित की।

नई दिल्ली स्थित अटल ऊर्जा भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने सीआईएसएफ टीम को विजेता ट्राफी प्रदान की। साथ ही रनर अप को सम्मानित किया। असिस्टेंट कमांडेंट मयंक वर्मा ने हिंदी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि असिस्टेंट कमांडेंट अरुधंति वी ने अंग्रेजी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिंदी श्रेणी में असम राइफल्स ने दूसरा स्थान और सीमा सुरक्षा बल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी श्रेणी में असम राइफल्स दूसरे स्थान पर रहीं जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

Prabhat Khabar

मानवाधिकार आयोग की त्वरित सुनवाई से पीड़ितों को मिल रहा न्याय

जागरूकता बढ़ने से लोग मानवाधिकार हनन की कर रहे शिकायतकई मामलों में पीड़ितों को मिला न्याय, सख्ती से कार्रवाई कर रहा विभाग विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष उपमुख्य संवाददाता,

https://www.prabhatkhabar.com/local-news/maanvaadhikaar-aayog-kii-tvrit-sunvaaii-se-piidd-iton-ko-mil-rhaa-nyaay

By Vinay Kumar

Modified date: December 9, 2025 8:00 PM

जागरूकता बढ़ने से लोग मानवाधिकार हनन की कर रहे शिकायतकई मामलों में पीड़ितों को मिला न्याय, सख्ती से कार्रवाई कर रहा विभाग विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है. इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी. मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग काफी सक्रियता पूर्वक कार्य कर रही है. मानवाधिकार सार्वभौमिक व अविभाज्य हैं. इसका मतलब यह है कि हम सभी अपने मानवाधिकारों के समान रूप से हकदार हैं और विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर और उचित प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें छीना नहीं जाना चाहिए.

मानवाधिकार की बात करें तो अब लोगों में जागरूकता आयी है और वह अपने अधिकारों को समझने लगे हैं. यही कारण है कि पुलिस उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सरकारी कर्मियों द्वारा परेशान किये जाने, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, भोजन व पोषण से संबंधित मामले के लिये लोग कोर्ट की शरण ले रहे हैं. मानवाधिकार आयोग सख़्ती से कार्रवाई भी कर रहा है.

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने पिछले दिनों अभियुक्तों को हथकड़ी लगा दिये जाने के मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, जिस पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस को निर्देश दिया कि किसी भी अभियुक्त को न्यायालय से अनुमति के बाद ही हथकड़ी लगाना है. उन्होंने ट्रांसजेंडरों के मानवाधिकार के लिये लड़ाई लड़ी और जिला स्तर पर एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी को नियुक्त किया गया. बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा के अपने चचेरे भाई रवि कुमार झा की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी के लिये अधिवक्ता एसके झा के द्वारा तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन याचिका दाखिल की गयी थी, जिसके परिणामस्वरुप तमिलनाडु की सरकार काफी सजग हो गयी. इसके बाद रवि कुमार झा तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अरक्कोनम नामक स्थान से सकुशल बरामद किये गये. वर्जन मानवाधिकार के मामलो में अब मानवाधिकार आयोग सख्ती से काम कर रहा है.

आयोग किसी भी मामले में त्वरित सुनवाई कर रहा है. इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है. हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिये लोगों में जागरूकता जरूरी है. हम सजग होंगे तभी हमें अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे – एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता मानवाधिकार के क्षेत्र में इन दिनों बहुत काम हो रहा है, पहले जागरूकता का अभाव और न्याय के दरवाजे तक पहुंच नहीं होने के कारण कई मामले दब जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

महिलाएं भी मुखर हो गयी हैं और वह अपने हक के लिये मानवाधिकार आयोग तक पहुंच रही है. इससे सामाजिक बदलाव हो रहा है. – नसीमा खातून, सलाहकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Amar Ujala

Bhiwani News: अपने संघर्ष से ताकत पाकर दूसरों के मानवाधिकारों की आवाज बने सुशील

https://www.amarujala.com/haryana/bhiwani/drawing-strength-from-his-own-struggle-sushil-became-a-voice-for-the-human-rights-of-others-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-143639-2025-12-10

अमर उजाला ब्यूरो | Updated Wed, 10 Dec 2025 01:41 AM IST

भिवानी। खुद के लिए संघर्ष कर हौसला जुटाया तो दूसरों के मानवाधिकारों के लिए पीड़ितों की आवाज बनकर गूंजे भिवानी के ढाणी माहू निवासी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा। साहस, संवेदनशीलता और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल कई ऐतिहासिक निर्णय दिलाने में भूमिका निभाई बल्कि असंख्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने का साहसिक कार्य भी किया। पिछले 20 सालों से सुशील वर्मा ने आम लोगों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दे ऐसी मिसाल बने जिसने पीड़ितों को न्याय की राह दिखाई और उनके जीवन को नई दिशा दी।

तेजाब हमला पीड़िता मामले में आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय तेजाब हमला पीड़िता पर हुए अमानवीय अत्याचार में सुशील वर्मा ने आरोपी पिता की करतूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने स्वयं इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह मामला गांव में दबा हुआ था किसी ने न तो पुलिस को इसकी शिकायत दी और न ही आवाज उठाई थी। पीड़िता रोहतक पीजीआई में कई महीनों तक दाखिल रहकर अपनों द्वारा दिए गए जख्मों का इलाज कराती रही। पिता ने उसके चेहरे पर तेजाब डालकर आंगन में बनी हौदी में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। उसकी चीख-पुकार दबाने के लिए आरोपी ने ऊंची आवाज में म्यूजिक भी बजाया था।

मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच की आवाज उठाई

ढाणी लक्ष्मणपुर निवासी मनीषा मौत मामला भले ही आज भी रहस्य बना है लेकिन इसकी सीबीआई जांच की पहली आवाज सुशील वर्मा ने ही उठाई। उन्होंने स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) तक शिकायत पहुंचाई। बाद में यह मामला पूरे देश में गूंजा और न्याय की लड़ाई के लिए परिजन भी खुलकर सामने आए। वर्तमान में सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है।

चलती बसों में आग की घटनाओं का मुद्दा उठाया

देशभर में चलती बसों में आग लगने की घटनाओं से असुरक्षित बस डिजाइन के खिलाफ सुशील वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। उन्होंने नूंह, जैसलमेर, गुंटूर सहित कई स्थानों पर हुई दर्दनाक घटनाओं का हवाला देते हुए एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एनएचआरसी ने संबंधित अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके परिणामस्वरूप आयोग ने देशभर के सभी राज्यों और केंद्र सरकार को ऐसी असुरक्षित बसों को रिकॉल करने के निर्देश दिए। यह फैसला लाखों यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

पुलिस यातना झेल चुके प्रशांत की बने ताकत

सुशील वर्मा ने भिवानी जिले के 19 वर्षीय प्रशांत पर पुलिस द्वारा की गई यातना का मामला भी मजबूती से उठाया। प्रशांत को झूठे मामले में फंसाकर पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गई थीं। ऐसे मामलों में अधिकतर पीड़ित चुप हो जाते हैं लेकिन सुशील वर्मा ने इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और अंततः एनएचआरसी तक पहुंचाया। उनकी संघर्षशीलता से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिली।

आभूषण व्यापारी की अवैध हिरासत मामले में गृह सचिव को जारी करवाया नोटिस

फतेहाबाद के आभूषण व्यापारी नरेश सोनी की सीआईए फतेहाबाद टीम द्वारा की गई अवैध हिरासत और उत्पीड़न के खिलाफ भी सुशील वर्मा ने एनएचआरसी में विस्तृत शिकायत दाखिल की। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा के गृह सचिव को नोटिस जारी हुआ और आरोपी कर्मियों के खिलाफ आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। यह मामला पुलिस अत्याचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल बना।

महिला अध्यक्षों की जगह पति व परिजनों द्वारा सत्ता चलाने का मामला उठाया

नगर परिषदों में महिला अध्यक्षों की जगह उनके पति या परिजनों द्वारा सत्ता चलाने के मामलों को सुशील वर्मा ने मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए निर्णायक लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस संबंध में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के आधार पर आयोग ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

आवा पजावा की जमीन से अवैध कब्जे हटवाए

सुशील वर्मा ने कुम्हार समाज की आवा पजावा जमीन पर से अवैध कब्जे हटवाने की दिशा में भी अहम पहल की। आजादी के बाद कुम्हार समुदाय को मिट्टी के भट्ठे चलाने के लिए भूमि आवंटित की गई थी लेकिन वर्षों में शक्तिशाली लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया। वर्मा ने यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने उठाया। आयोग ने देशभर के सभी जिला उपायुक्तों को कब्जे हटाकर कुम्हार समाज को उनकी जमीन वापस दिलाने के आदेश दिए। कई जिलों में जमीनें वापस मिलने लगीं जिससे पूरे समुदाय को बड़ी राहत मिली।

कचरा बीनने वालों पर अत्याचार का मामला उठाया

जीरकपुर (पंजाब) में कचरा बीनने वाले गरीब मजदूरों का नगर पालिका और पुलिस द्वारा चालान काटने तथा उत्पीड़न का मामला भी सुशील वर्मा ने उठाया। उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो स्वयं जीरकपुर पहुंचे वहां विशेष कैंप लगाया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी कचरा बीनने वाले का उत्पीड़न न किया जाए।

सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी लागू करवाने में दिया योगदान

बाल अधिकार आयोग के सदस्य रहते हुए सुशील वर्मा ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत पहल की। उनके प्रयासों से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी लागू की गई जिससे लाखों बच्चों की यात्रा सुरक्षित हुई।

भिवानी नगर परिषद में करोड़ों के भ्रष्टाचार का किया खुलासा

सुशील वर्मा ने नगर परिषद भिवानी में करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद इस घोटाले की सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई नगर परिषद में हुए कई बड़े घोटालों की जांच कर रही है जिसमें तत्कालीन चुने गए प्रतिनिधियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है।

तोशाम क्षेत्र के किसानों को दिलवाया पानी

तोशाम क्षेत्र में किसानों को पानी न मिलने से फसलें सूख रही थीं। सुशील वर्मा ने किसानों के अधिकारों के लिए अनशन किया और प्रशासन पर दबाव बनाया। अंततः नहरों में पाइप लाइनों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हुआ जिससे हजारों किसानों को राहत मिली।

The Wire

एनएचआरसी ने प्रशासन से क़र्ज़ में फंसकर जान गंवाने वाले शख़्स के परिवार को आर्थिक मदद देने को कहा

सितंबर 2024 में यूपी के कुशीनगर ज़िले में मुसहर समुदाय से आने वाले शैलेश की संदिग्ध मौत हो गई थी. बाद में सामने आया था कि वे माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ जाल में फंसे थे. इस घटना पर द वायर में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. लेनिन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी. अब आयोग ने ज़िला प्रशासन को शैलेश के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है.

https://thewirehindi.com/317614/nhrc-asks-district-admin-to-compensate-family-of-man-who-died-in-debt/

मनोज सिंह | 09/12/2025

भारत/विशेष

कुशीनगर: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज जाल में फंसे कुशीनगर जिले के जंगल खिरकिया गांव के गरीब मुसहर नौजवान शैलेश की 17 सितंबर 2024 की रात संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुशीनगर के जिलाधिकारी को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) नियम, 2016 के तहत पीड़ित को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है.

एनएचआरसी ने यह आदेश एक वर्ष की सुनवाई के उपरांत चार दिसंबर 2025 को जारी किया. आयोग ने छह हफ्तों के अंदर अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है.

बता दें कि शैलेश की पत्नी माला ने छह माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से 2.30 लाख रुपये का कर्ज लिया था. कर्ज को लेकर उनकी गांव के एक परिवार से विवाद के बाद मारपीट हुई. तबियत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शैलेश का शव 19 सितंबर को उसके गांव जंगल खिरकिया आया तो ग्रामीणों ने अंत्येष्टि करने से मना कर दिया और धरने पर बैठ गए. करीब चार घंटे के धरने के बाद अधिकारियों ने जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तब अंतिम संस्कार किया गया.

पडरौना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. शैलेश की मौत के बारे में द वायर हिंदी ने 21 सितंबर 2024 विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी. जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स विजिलेंस कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के संस्थापक डॉ. लेनिन रघुवंशी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करायी.

डॉ. लेनिन ने अपनी शिकायत में कहा कि शैलेश माइक्रोफाइनेंस कर्ज़ में फंसा हुआ था और उन्हें लगातार परेशान किया गया और डराया-धमकाया गया, जिसके कारण एक हिंसक घटना हुई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शैलेश और माला का दो साल का एक बेटा है और माला उस समय सात महीने की गर्भवती थी. परिवार को लोन एजेंट परेशान कर रहे थे, जिससे एक स्थानीय परिवार से उनका झगड़ा हो गया था.

शिकायत में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज जाल में फंसे अन्य गरीब गांव वालों का भी ज़िक्र है, जो परेशान किए जाने के चलते जान दे रहे हैं.

शिकायत के मुताबिक, एक साल के अंदर कर्ज के जाल में फंसकर जिले में गरीब गांव वालों की यह तीसरी मौत थी. यह भी बताया गया है कि दुदही इलाके के दसहवां गांव के एक परिवार को अपने बच्चे को 20,000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि परिवार कर्ज के जाल में फंसा हुआ था. इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर 2024 को द वायर हिंदी में प्रकाशित हुई थी. रिपोर्ट में सामने आया था कि बच्चा बेचे जाने के कारणों में माइक्रोफाइनेंस के कर्ज जाल भी एक था.

उन्होंने मामले की पूरी जांच, परिवार के लिए कर्ज माफी और आगे शोषण से बचाने के लिए आर्थिक मदद की मांग की.

शिकायत पर कार्रवाई

20 नवंबर 2024 को एनएचआरसी ने शिकायत की एक कॉपी कुशीनगर के जिलाधिकारी को भेज कर पीड़ित परिवार को राज्य की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 के नियमों के तहत दी गई आर्थिक राहत की स्थिति, जिले में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीब ग्रामीणों को कर्ज के जाल में फंसाने के तरीकों, उनके द्वारा लगाए गए कर्ज पर ब्याज दर और कर्ज वसूलने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में सर्वे रिपोर्ट के साथ-साथ ज़रूरी सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए छह हफ़्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट मांगी.

आयोग ने पुलिस अधीक्षक से शैलेश की मौत के केस में दर्ज एफआईआर पर की गई जांच की भी रिपोर्ट मांगी. कुशीनगर के एसपी की 02.04.2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि विसरा रिपोर्ट में जहर पाया गया है और मामले की जांच अभी भी चल रही है.

दुदही ब्लाक के दसहवां गांव निवासी हरीश पटेल द्वारा कर्ज के जाल में फंसकर अपने बेटे को बेचने के घटना के बारे में कुशीनगर जिला प्रशासन ने एनएचआरसी को बताया कि पटेल की पत्नी ने एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. चूंकि बच्चे के माता-पिता अस्पताल का बिल नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए उन्हें मजबूर होकर अपना बच्चा आरोपियों को 20,000 रुपये की मामूली रकम पर बेचना पड़ा. जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है.

मानवाधिकार आयोग ने 29 मई 2025 को कुशीनगर के एसपी से एक बार फिर शैलेश की मौत में दर्ज केस की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी.

एसपी ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस घटना की जांच पडरौना सदर के सर्किल ऑफिसर ने की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे विसरा सुरक्षित रखा गया. गोरखपुर स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) ने जहर होने की पुष्टि की. आरोपी वीरेंद्र पुत्र संतोष को बीएनएस की धारा 351(3)/108/352 और धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत पहली नज़र में दोषी पाया गया और 9 अप्रैल 2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दूसरे आरोपियों- सुभाष, मंटू, और उमा निषाद के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर दोषी नहीं पाया गया. चार्जशीट फाइल कर दी गई है और केस विचाराधीन है.

अब आयोग ने डीएम और एसपी की सभी रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम सही तरीके से लागू किया गया है और नियमानुसार पीड़ित का परिवार कानूनी तौर पर आर्थिक राहत का हकदार है. आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि छह हफ़्ते के अंदर शैलेश के परिवार को आर्थिक राहत देकर अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए.

'आयोग का आदेश कानूनी जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर देता है'

आयोग के आदेश को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. लेनिन ने कहा कि आयोग का यह आदेश कमजोर दलित समुदाय के परिवार को न्याय और मदद दिलाने की दिशा में एक जरूरी कदम है. यह तुरंत राहत, पारदर्शी जांच और कानूनी जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर देता है.

उन्होंने आगे कहा कि बिना रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस कर्ज लोगों के शोषण और परेशानी बन रहे हैं. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ मजबूत संस्थागत कार्रवाई की ज़रूरत है. यह मामला गहरे ढांचागत मुद्दों—कर्ज जाल, गलत तरीके से कर्ज देना, जाति आधारित वंचना और स्थानीय संरक्षण व्यवस्था की नाकामी को सामने लाता है.

उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीवीसीएचआर कार्रवाई पर नज़र रखते हुए पीड़ित परिवार की मदद जारी रखेगा.

(लेखक गोरखपुर न्यूज़लाइन वेबसाइट के संपादक हैं.)

Amar Aujala

Bihar: पटना के प्रोफेसर लीबिया में फंसे, वीजा खत्म, लगाई मानवाधिकार आयोग से मदद की पुकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/मुजफ्फरपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 09 Dec 2025 05:17 PM IST

सार

तिरहुत-मुजफ्फरपुर

पटना के राजेंद्र नगर निवासी प्रो. डॉ. संजीव धारी सिन्हा लीबिया में फंस गए हैं। त्रिपोली और अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे संजीव धारी का वीजा समाप्त हो चुका है और 2014 से भारत लौटने की कोशिशों के बावजूद वे वापस नहीं आ पाए हैं।

विस्तार

बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर के रहने वाले प्रो. डॉ. संजीव धारी सिन्हा लीबिया में फँस गए हैं। अफ्रीकी देश लीबिया में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत संजीव धारी का वीजा समाप्त हो चुका है। उन्होंने वीडियो जारी कर भारत वापस लाने की गुहार लगाई है, जिसके बाद उनकी मदद के लिए मानवाधिकार आयोग में अर्जी दायर की गई है।

जानकारी के अनुसार, प्रो. डॉ. संजीव धारी सिन्हा लीबिया की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2014 से ही भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपने वतन वापस नहीं लौट सके हैं। बताया जा रहा है कि वे भारतीय दूतावास की लापरवाही का खामियाज़ा भुगत रहे हैं।

पीड़ित के अनुसार, त्रिपोली यूनिवर्सिटी में 2014-15 और 2015-16 में लगातार सेवा देने के बावजूद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई। वीज़ा संबंधी समस्याओं के कारण 2017 में त्रिपोली यूनिवर्सिटी ने उन्हें 39 माह की बजाय सिर्फ 21 माह का वेतन दिया, जो वीज़ा अवधि खत्म होने के कारण हवाला के दायरे में आता है। यहां तक कि अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में सेवा के दौरान भी उन्हें वैध वीज़ा नहीं दिया गया। बिना वीज़ा विदेश में काम करना गैरकानूनी है, ऐसे में उनकी कमाई हुई राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत हवाला के दायरे में मानी जाएगी।

इस गंभीर स्थिति में प्रोफेसर सिन्हा ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा से फोन पर बात कर मदद की अपील की। इसके बाद अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी नागरिक का विदेश में इस प्रकार फँसा होना मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। उनके अनुसार, विशेष परिस्थितियों में पूर्व तिथि से वीज़ा देने का प्रावधान मौजूद है, लेकिन इसके लिए संस्थान और सरकार की

सक्रियता आवश्यक है, जो इस मामले में दिखाई नहीं दे रही है। इसी कारण प्रो. सिन्हा की वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही है।

हालांकि, लीबिया के उपशिक्षा मंत्री ने मामले में पहल की है और अलमेरगिब यूनिवर्सिटी ने उनका बकाया वेतन उनके अकाउंट में भेजने की अनुमति भी दी है, लेकिन भारतीय दूतावास की सुस्ती के चलते मामला अभी तक सुलझ नहीं सका है। प्रो. सिन्हा की भारत वापसी तब ही संभव है जब उन्हें पूरी अवधि के लिए वैध वीज़ा और लीगल एग्ज़िट उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी बीच प्रो. डॉ. संजीव धारी सिन्हा ने भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील की है कि उन्हें लीगल एग्ज़िट वीज़ा और सहायक प्रोफेसर होने का आधिकारिक प्रमाणपत्र दिलाया जाए। वे कहते हैं कि पैसा बाद में ले लेंगे, पहले उन्हें वैध एग्ज़िट दिलाया जाए ताकि वे घर वापस लौट सकें।

जानकारी के अनुसार, प्रो. सिन्हा लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 80 किलोमीटर दूर खुम्स में रहते हैं और अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। उनके अनुसार, भारतीय मुद्रा में लगभग 1.5 करोड़ रुपये उनका बकाया है, लेकिन न उन्हें वेतन मिल रहा है और न ही लीगल वीज़ा। प्रोफेसर वर्ष 2009 में लीबिया गए थे और 2017 तक त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर रहे। फिलहाल उनके पास न वैध वीज़ा है और न ही आई-कार्ड।

Dainik Bhaskar

लीबिया में 11 साल से फंसे पटना के प्रोफेसर संजीव:मुजफ्फरपुर के वकील से बातकर मदद मांगी, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

https://www.bhaskar.com/amp/local/bihar/muzaffarpur/news/patna-professor-stranded-in-libya-files-petition-in-human-rights-commission-136623429.html

मुजफ्फरपुर 7 घंटे पहले

संजीव सिन्हा की फाइल फोटो। मानवाधिकार मामलों के वकील एसके झा ने कहा कि प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा की सुरक्षित और सकुशल वतन वापसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।

पटना के राजेंद्र नगर के रहने वाले प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा लीबिया में फंसे हुए हैं। वे साल 2014 से भारत लौटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा ने भारतीय दूतावास पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण उन्हें वीजा और वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रोफेसर सिन्हा ने मानवाधिकार मामलों के वकील एसके झा को कॉल किया और मदद की गुहार लगाई। वकील ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

मानवाधिकार मामलों के वकील एसके झा ने बताया कि प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा के मामले में सरकार गंभीर नहीं हैं, कारण कि विशेष स्थिति में पूर्व की तिथि से वीजा देने का प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित संस्थान और सरकार की भूमिका अहम हैं। लेकिन प्रस्तुत मामले में सरकार गंभीर नहीं हैं, जिस कारण प्रोफेसर सिन्हा की वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।

हालांकि मामले के संबंध में लीबिया के उपशिक्षा मंत्री ने पहल भी की और अलमेरगिब यूनिवर्सिटी ने भी सैलरी उनके अकाउंट में भेजने पर सहमति दे दी। लेकिन भारतीय दूतावास की सुस्ती के कारण मामला सुलझ नहीं रहा है।सिर्फ वैध तरीके से पूरी अवधि के वीजा मिलने पर ही उनकी वतन वापसी संभव है।

संजीव धारी सिन्हा ने भारत और बिहार सरकार से की अपील

प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा ने भारत सरकार और बिहार सरकार से गुहार लगाई कि किसी तरह उन्हें लीगल एग्जिट वीजा और सहायक प्रोफेसर होने का कागज दिला दे। वे पैसा बाद में लीबिया से ले लेंगे लेकिन लीगल एग्जिट वीजा मिल जाए तो घर लौट जायेंगे। प्रो. सिन्हा लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 80 किलोमीटर दूर खुम्स में हैं।

वे अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विषय के सहायक प्रोफेसर रहे हैं। उनका भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया हैं। न उन्हें बकाया वेतन दिया जा रहा है और न ही लीगल वीजा। डॉ.सिन्हा साल 2009 में लीबिया गये थे और साल 2017 तक त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर डॉ. सिन्हा के पास न तो लीगल वीजा है और न ही आई कार्ड हैं। मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका

है, जिस कारण अब सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और प्रोफेसर सिन्हा की वतन वापसी के लिए पहल करना होगा।

वीजा न होने के कारण वेतन हवाला के दायरे में आ रहा है

प्रोफेसर सिन्हा लीबिया के त्रिपोली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि 2014-15 और 2015-16 में उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई। वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण 2017 में त्रिपोली यूनिवर्सिटी ने उन्हें 39 माह की बजाय केवल 21 माह का ही वेतन दिया। उनका आरोप है कि वीजा न होने के कारण यह वेतन हवाला के दायरे में आता है।

इसके बाद अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में सेवा के दौरान भी उन्हें वैध वीजा नहीं दिया गया। प्रोफेसर सिन्हा के अनुसार, बिना वैध वीजा के विदेशों में सेवा देना गैरकानूनी है। इस अवधि में अर्जित राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दायरे में आएगी और पूरी सैलरी हवाला के तहत मानी जाएगी।

अगस्त 2021 में ललन सिंह ने विदेश मंत्री से की थी अपील

संजय सिन्हा के लीबिया में फंसने के मामले में जदयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अगस्त 2021 में केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर से गुहार लगाई थी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर विदेश मंत्री को टैग करते हुए लिखा था- माननीय मंत्री जी, कृपया लीबिया में फंसे हमारे भाई की मदद करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी करें।

Jagran

Bihar News : मुझे लीबिया से निकाल लीजिए... पटना लौटना है, मानवाधिकार आयोग से प्रोफेसर की गुहार

By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh

Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:49 PM (IST)

Bihar News : पटना के राजेंद्रनगर निवासी प्रोफेसर डा. संजीव धारी सिन्हा 2014 से लीबिया में फंसे हुए हैं और वतन वापसी का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मान ...और पढ़ें

https://www.jagran.com/bihar/muzaffarpur-patna-professor-stranded-in-libya-appeals-to-human-rights-commission-for-return-to-his-homeland-40066983.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। पटना के राजेंद्रनगर निवासी प्रोफेसर डा. संजीव धारी सिन्हा लीबिया में फंस गए हैं। वह वर्ष 2014 से वतन वापसी का प्रयास कर रहे हैं, मगर नहीं आ पा रहे। अब उन्होंने इसके लिए मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है। डा. सिन्हा लीबिया के यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं।

बताया गया कि लीबिया के त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सेवा देते रहने के बावजूद 2014-15 और 2015-16 में कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई। वीजा की दुश्वारियों के कारण 2017 में त्रिपोली यूनिवर्सिटी ने उन्हें 39 की बजाय सिर्फ 21 माह का ही वेतन दिया।

वहीं अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में भी सेवा के दौरान उन्हे वैध वीजा नहीं दिया। बिना वीजा सेवा गैरकानूनी है। उस दौरान अर्जित राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दायरे में और पूरी सैलरी हवाला के दायरे में होगी।

इसे देख प्रो. सिन्हा ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा से फोन पर बात कर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद मानवाधिकार अधिवक्ता ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष याचिका दायर की है।

अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सरकार गंभीर नहीं हैं। इससे उनकी वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही है। यह मानवाधिकार का उल्लंघन हैं। लीबिया के उपशिक्षा मंत्री ने पहल भी की तथा अलमेरगिब विश्वविद्यालय ने सैलरी उनके एकाउंट में भेजने पर सहमति दी, लेकिन भारतीय दूतावास की सुस्ती से मामला सलट नहीं रहा।

सिर्फ वैध तरीके से पूरी अवधि के वीजा मिलने पर ही उनकी वतन वापसी संभव हैं। प्रोफेसर ने भारत और बिहार सरकार से गुहार लगाई कि किसी तरह उन्हें लीगल एग्जिट वीजा व उनके वहां सहायक प्रोफेसर होने का कागज दिला दें। वे पैसा बाद में लीबिया से ले लेंगे, लेकिन लीगल एग्जिट वीजा मिल जाए तो घर लौट जायेंगे।

JAGRAN, Online, 10.12.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

प्रो. सिन्हा लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 80 किलोमीटर दूर खुम्स में हैं। वह अलमरगिब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विषय के सहायक प्रोफेसर रहे हैं। उनका भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब डेढ़ करोड़ रुपया बकाया हैं। उन्हें बकाया वेतन दिया जा रहा ना लीगल वीजा।

बता दें कि प्रोफेसर 2009 में लीबिया गए थे। 2017 तक त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे। उनके पास न तो लीगल वीजा हैं और न ही आई कार्ड हैं।

मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता ने कहा कि प्रोफेसर की सुरक्षित व सकुशल वतन वापसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।

Tirhut Now

“घर लौटना चाहता हूँ…” लीबिया में फंसे प्रो. संजीव की पुकार; NHRC में दायर हुई याचिका

https://tirhutnow.com/i-want-to-return-home-professor-sanjeev-stranded-in-libya-pleads-with-nhrc/

Posted by tirhutnow | December 9, 2025

मुजफ्फरपुर/पटना: बिहार के पटना स्थित राजेंद्र नगर के निवासी प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा पिछले कई वर्षों से लीबिया में फंसे हुए हैं और वतन लौटने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लीबिया की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर रहे डॉ. सिन्हा वर्ष 2014 से भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय दूतावास की लापरवाही और वीजा संबंधी जटिलताओं के कारण आज तक वापस नहीं आ पाए।

प्रोफेसर सिन्हा ने हाल ही में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा से फोन पर संपर्क कर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद अधिवक्ता झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की हैं।

—
कैसे बढ़ी परेशानी?

• डॉ. सिन्हा वर्ष 2009 में लीबिया गए थे और 2017 तक त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। आरोप है कि:

• 2014–15 और 2015–16 में वीजा प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिससे उनका स्टे अवैध स्थिति में चला गया।

• 2017 में त्रिपोली विश्वविद्यालय ने 39 माह की जगह केवल 21 माह का ही वेतन दिया, जो वीजा न होने के कारण हवाला की श्रेणी में आ सकता है।

• अलमरगिब यूनिवर्सिटी में कार्य के दौरान भी उन्हें वैध वीजा नहीं मिला, जिससे पूरी अवधि का वेतन हवाला और FEMA नियमों के अंतर्गत विवादित हो सकता है।

नतीजतन, डॉ. सिन्हा अब बिना वीजा और बिना आई-कार्ड के लीबिया में फंसे हैं, जो वहां रहना भी अवैध बनाता है और देश छोड़ना भी कठिन। उनका लगभग 1.5 करोड़ रुपये बकाया वेतन भी अटका हुआ है।

—
मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका

अधिवक्ता एस.के. झा ने कहा कि प्रोफेसर सिन्हा के मामले में सरकार की गंभीरता नहीं दिख रही। उनके मुताबिक:

• विशेष परिस्थितियों में पूर्व-तिथि से वीजा जारी करने का प्रावधान है,

• लेकिन इसमें भारतीय दूतावास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है,

• जबकि दूतावास की “सुस्ती” के कारण मामला आज तक लंबित है।

झा के अनुसार यह स्थिति मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को अब तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

—

लीबिया का भी सहयोग, पर दूतावास की चुप्पी

सूत्रों के मुताबिक:

लीबिया के उप शिक्षा मंत्री ने पहल की और

अलमरगिब विश्वविद्यालय ने भी वेतन ट्रांसफर के लिए सहमति जताई है।

फिर भी भारतीय दूतावास की धीमी प्रक्रिया के चलते डॉ. सिन्हा को न वीजा मिल रहा है, न एग्जिट परमिट।

—

प्रोफेसर की गुहार – “वीजा मिल जाए, बाकी पैसा बाद में ले लूंगा”

खुम्स (त्रिपोली से 80 किमी दूर) में फंसे डॉ. सिन्हा बार-बार भारतीय और बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं:

> “मुझे सिर्फ लीगल एग्जिट वीजा और सहायक प्रोफेसर होने का प्रमाणपत्र दिला दें।
मैं पैसा बाद में ले लूंगा। बस घर लौटना चाहता हूँ।”

—

अब क्या?
मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अब डॉ. सिन्हा की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है।

अधिवक्ता एस.के. झा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार,
भारतीय नागरिक की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है,
और प्रो. सिन्हा को हर हाल में सुरक्षित भारत लाया जाना चाहिए।